

लेखन का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार - कृषि
(कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य)
2. वार्ड परगना डासना
3. मौहल्ला/ग्राम - सादिकपुर उर्फ काजीपुरा
- 4- सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) खाता नं० 98 के खसरा नं० 182/2,
- 5- मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर) हैक्टेयर

A. C. Khandelwal

Adm

7,160,440.00

3,701,000.00

विक्रय पत्र

5,000.00

20

5,020.00

1,000

प्रतिफल भागिदार

श्री/श्रीमती किसान गुफा और से जार्डन कोन्जोर्टस

पुत्र : पत्नी श्री सुरज बान गुफा

पंजा नोकरी

दिवासी स्थायी 145 छिडकी डी.डी.ए. कलेट नालसीग नगर दिल्ली

अस्थायी फा 'उप'

ने यह शेयरबड इम कार्यालय दिनांक 28/8/2006 मध्य 1:12PM

को निम्नान लेनु पेश किया



क. के. यादव
उप निबन्धक (प्रथम)
गाजियाबाद

28/8/2006

नियामक लेनपत्र चार गुने न समझने पत्रपुत्र व प्राप्त वसूली: रु. धनराशिया: 3क:

सिद्धका

श्री/श्रीमती सरोन्द्र दीवरी

पुत्र/पत्नी श्री श्री श्रीचन्द्र

पेशा कृषि

निवासी ग्राम शादिकपुर ऊक काजीपुरा तर. व

जिला गा. बारा

पेशा

श्री/श्रीमती किसान गुफा और से कार्डन कोन्जोर्टस

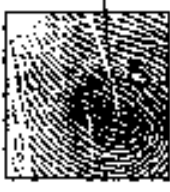
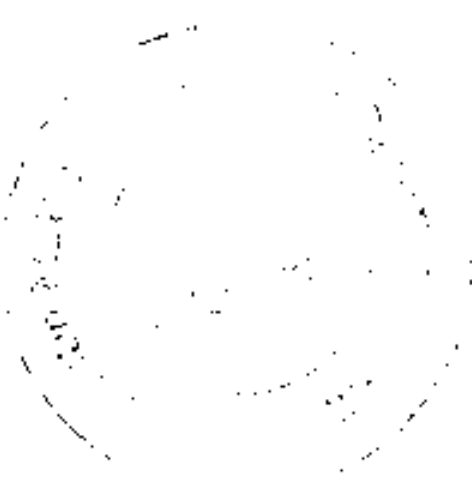
पुत्र/पत्नी श्री सुरज बान गुफा

पेशा नोकरी

निवासी 145 छिडकी डी.डी.ए. कलेट नालसीग नगर

दिल्ली

ने निम्नान लेनु पेश किया ।



(2)

- 6- सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.749 हेक्टेयर
- 7- सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) 200 मीटर से अधिक
- 8- अन्य विवरण (9 मीटर सेड/ कार्नाइ इत्यादि) N.A
- 9. सम्पत्ति का प्रकार भूमि कृषि
- 10. प्रतिफल की धनराशि 71,60,440/- रुपये

P. Chaudhary

W. S. S. S.

जिनकी पहचान की सचिन राणा
पुत्र श्री के. सी. राणा
पेशा अध्यक्ष

Sachin

निवासी 10/S सीमल रोड किफा सन सिटी गा. बाद

व श्री श्रीमति रीता चौधरी

पुत्र श्री सतेन्द्र चौधरी

पेशा गृहिणी

निवासी ग्राम साविकपुर ऊर्फ कीर्तीपुरा गा. बाद

Rita

ने की।

प्रत्यक्ष मद्र साक्षियों के निशान अंगूठे निम्नानुसार लिखे गये हैं।



4
के. के. यादव
उप निबन्धक (मध्यम)
गाजियाबाद
29/8/2006



(3)

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

A. Chandley

Dilnaz

विक्रेता

Registration No 5895

Year: 2006

Book No. 1

0101 सतेन्द्र चौधरी *S. Chaudhary*

श्री श्रीचरण

ग्राम रुन्दिगपुर तह. झांसीपुरा तह. न. जिला ग. न. न. न.
कृषि



(4)

विक्रेता का विवरण:-

- 1 नाम सतेन्द्र चौधरी
पिता का नाम
श्री श्रीचन्द्र
स्थायी पता सादिकपुर उर्फ काजीपुरा
अस्थायी पता सादिकपुर उर्फ काजीपुरा
व्यवसाय

P. Chaudhary

क्रेता का विवरण:-

1. नाम फाईन ग्रो प्रमोटर्स
एण्ड डवलपर्स प्रा० लि०
द्वारा किशन गुप्ता
पिता का नाम
श्री सुरजभान गुप्ता,
स्थायी पता नई दिल्ली
अस्थायीपता नई दिल्ली
व्यवसाय व्यापार

Kishan Gupta

क्रेता

Registration No. S895

Year: 2006

Book No. 1

0201 किसन गुप्ता ओर से फाईन प्रोपमोर्टस

सूरज भाग गुप्त:

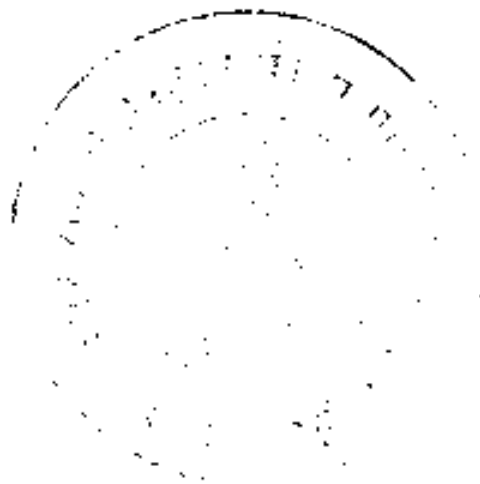
145 खिडकी स्.डी.ए. फ्लैट माजरीय नगर दिल्ली

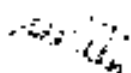
नीकर













उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

163386

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 71,60,440/ रुपये ।
स्टाम्प पेपर अंकन : 7,16,100/ रुपये ।

मैं कि सर्वेन्द्र चौधरी पुत्र श्री श्रीचन्द्र निवासी- ग्राम सादिकपुर उर्फ
काजीपुरा परगना हासना तहसील व जिला गाजियाबाद (फरीक अज्जल, विक्रेता) ।

मैसर्स फार्मन प्रो प्रमोटर्स एण्ड डवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33,
कम्प्यूनिटी सेंटर एन.एफ.सी. नई दिल्ली द्वारा श्री किशन गुप्ता पुत्र स्व० श्री
सुरजभान गुप्ता निवासी-145 छिड़की डी. डी. ए. फ्लैट्स, मालवीया नगर नई
दिल्ली-17 अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम क्रेता)।

P. C. Chaudhary

(Signature)



179 27c88

28 AUG 2006

ml 2.0

23.

527

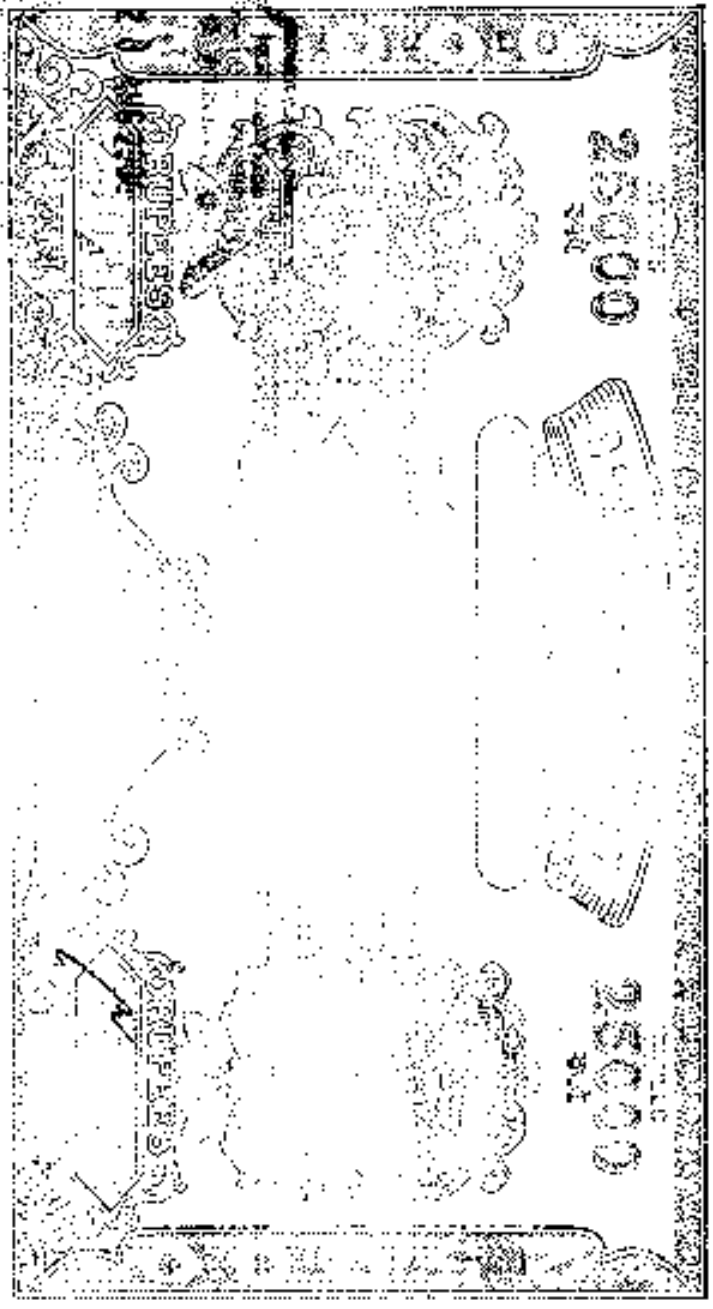
۱۵۲

30154103

1551

2





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

163385

विक्रीत भूमि का विवरण

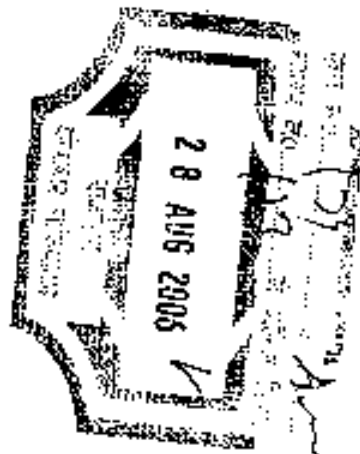
(1) स्थित ग्राम सारिकपुर ठर्फ काजीपुरा परगना हासना तहसील व जिला गाजियाबाद (खोप्रो), कृषि भूमि खाता नं० 98 के खसरा नं० 182/2 रकबई 0. 749 हैकटेयर अनुसार खतौनी 1408 ता 1413 फसली जिसके फरीक अव्वल (विकेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रेय अधिकारी, संक्रमणीय भूमिधर दर्ज मालकागजात है, का दैनामा हाजा में विक्रय किया गया। विक्रीत भूमि हम फरीक अव्वल (विकेता) की पैतृक भूमि है जिसके हम फरीक अव्वल से पहले हमारे पिता स्व० श्री श्रीचन्द्र पुत्र स्व० श्री मालिक थे ।

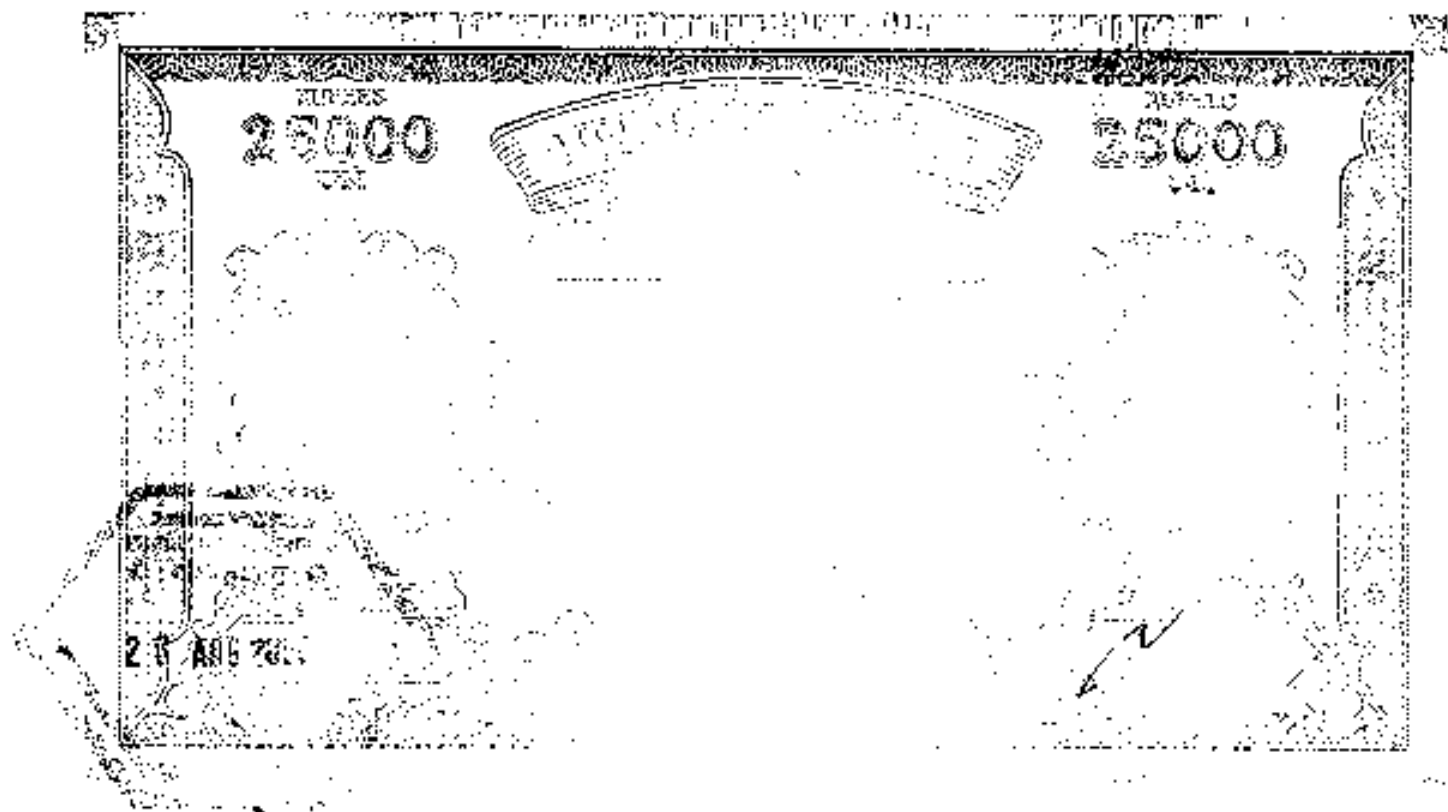
A. Chandley

[Signature]

Tejendra Singh
Ch
21.00.00 (L.P.)

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

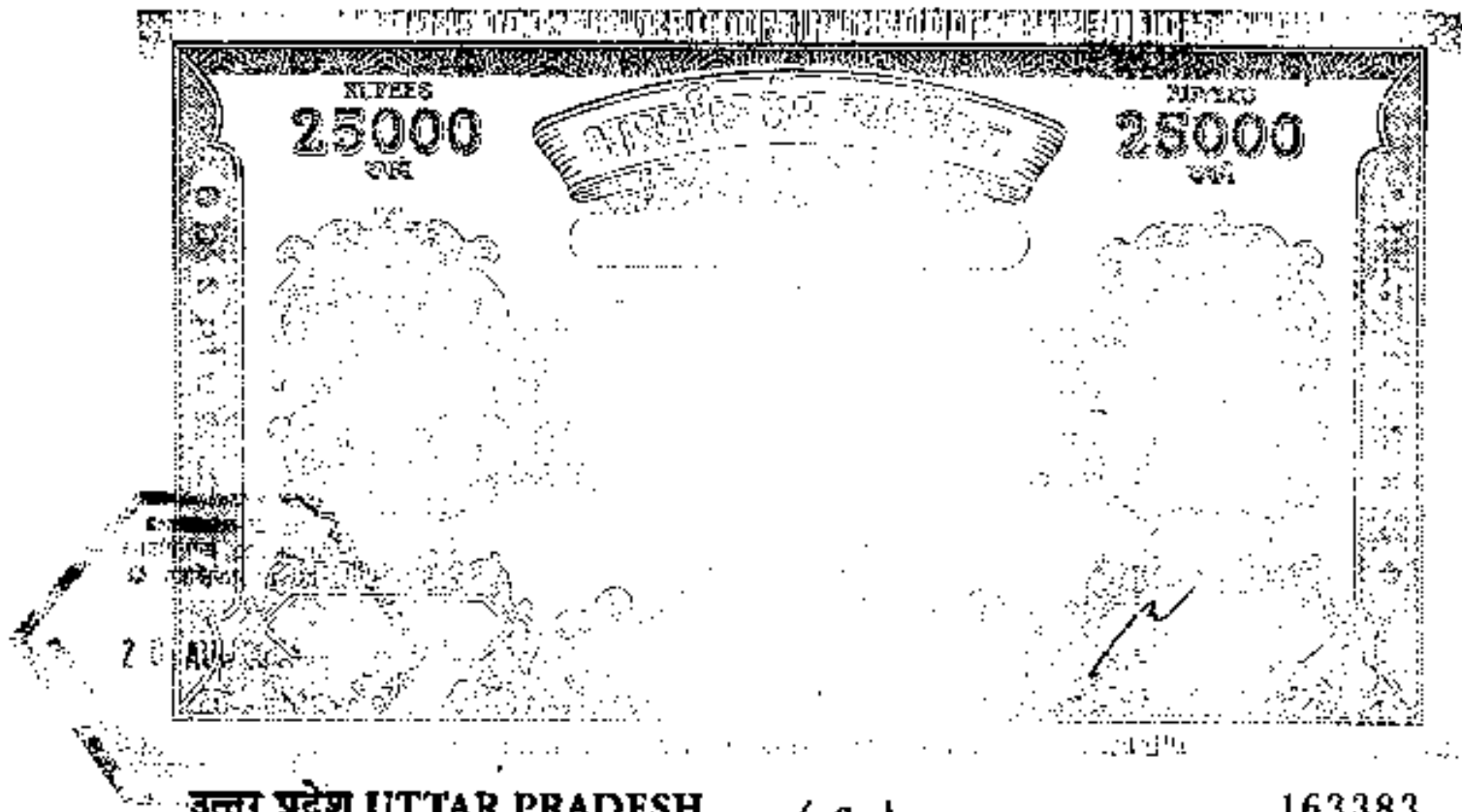
163384

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 32,12,475/-रूपये प्रति हैक्टेयर है लेकिन इस विक्रय पत्र में सर्किल रेट के दोगुने से अधिक रूप 95,60,000/-रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 71,60,440/-रूपये (इकहत्तर लाख साठ हजार चार सौ चालीस रूपये मात्र) मूल्य पर सरकारी स्टाम्प अदा किया गया है।

P. Chaudhary

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

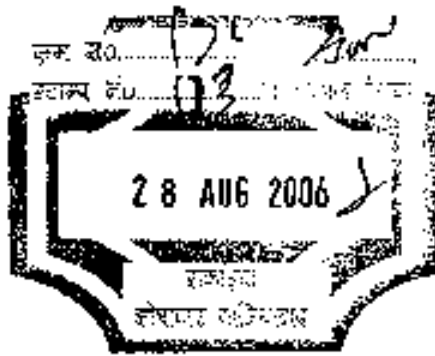
(8)

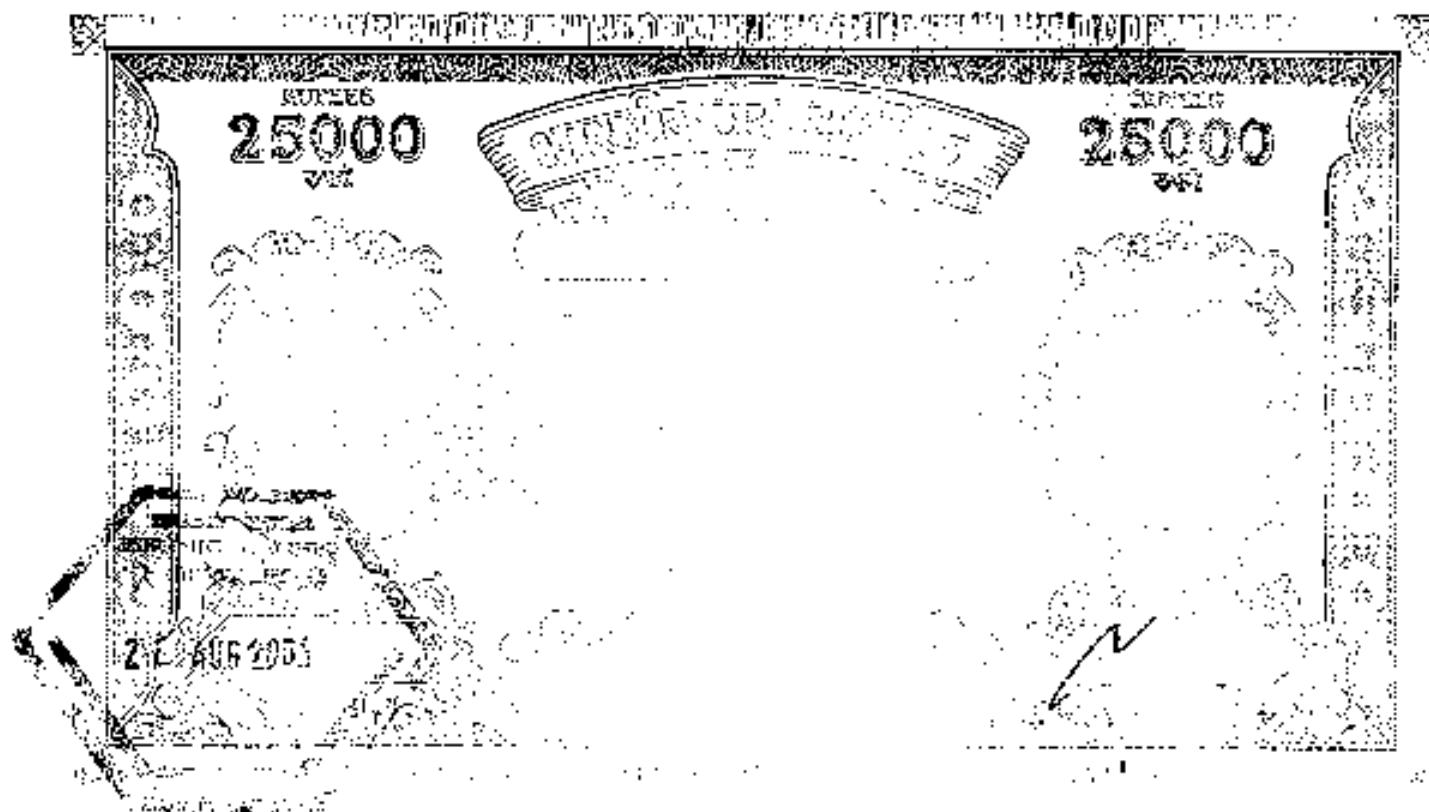
163383

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने श्रीमान् तहसीलदार महोदय से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से नहीं है।

P. Chandley

D. S. Das





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

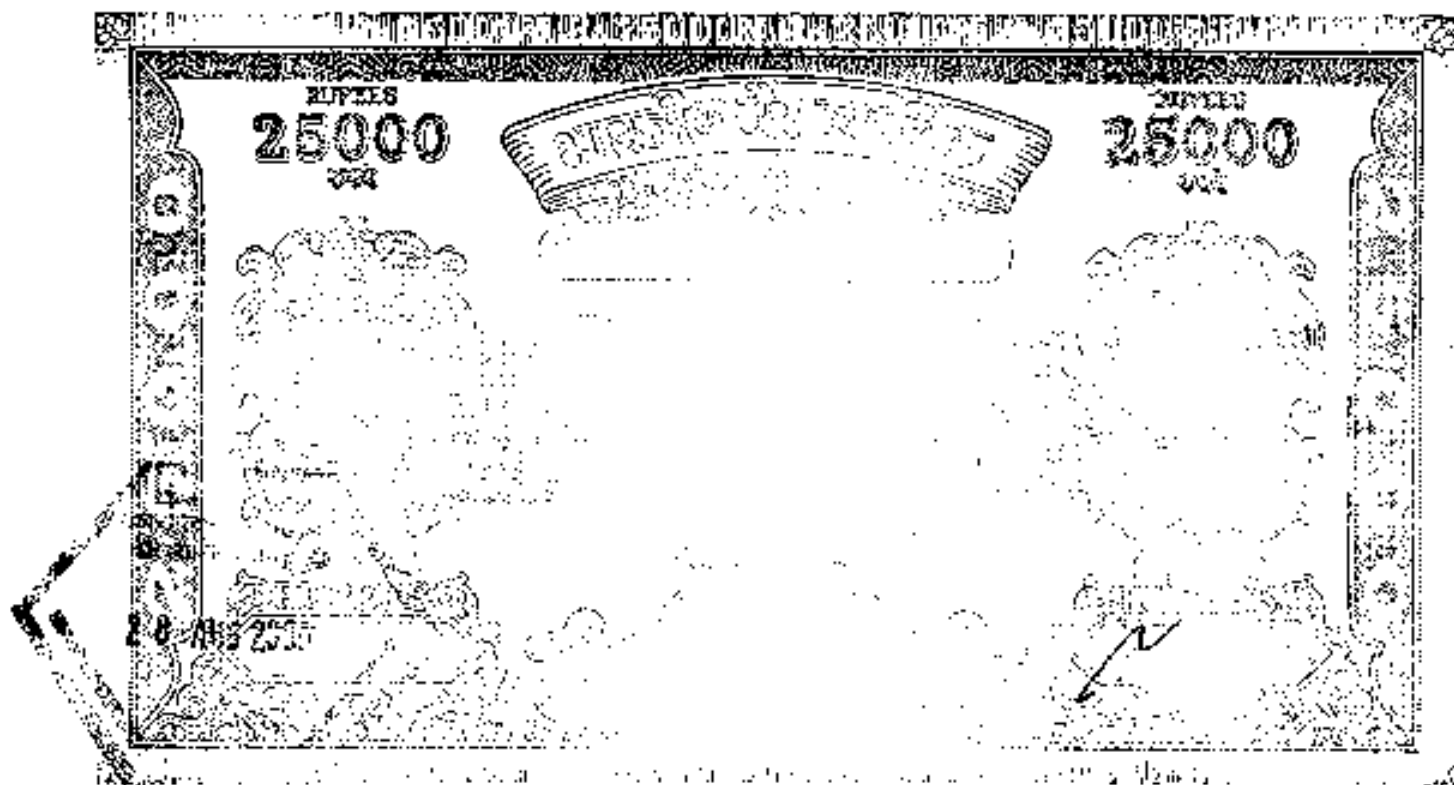
163382

(4) विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की भूमि नहीं है और न ही निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है इस सन्दर्भ में विक्रेता ने संबन्धित श्री मान् तहसीलदार महोदय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। तथा विक्रीत भूमि किसी भी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी कार्य हेतु अधिग्रहण के लिये अधिसूचित नहीं की गयी है।

P. Chaudhary

Dinesh





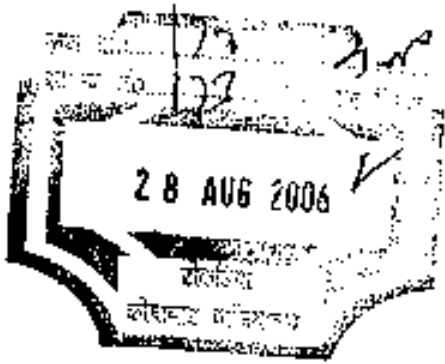
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (10)

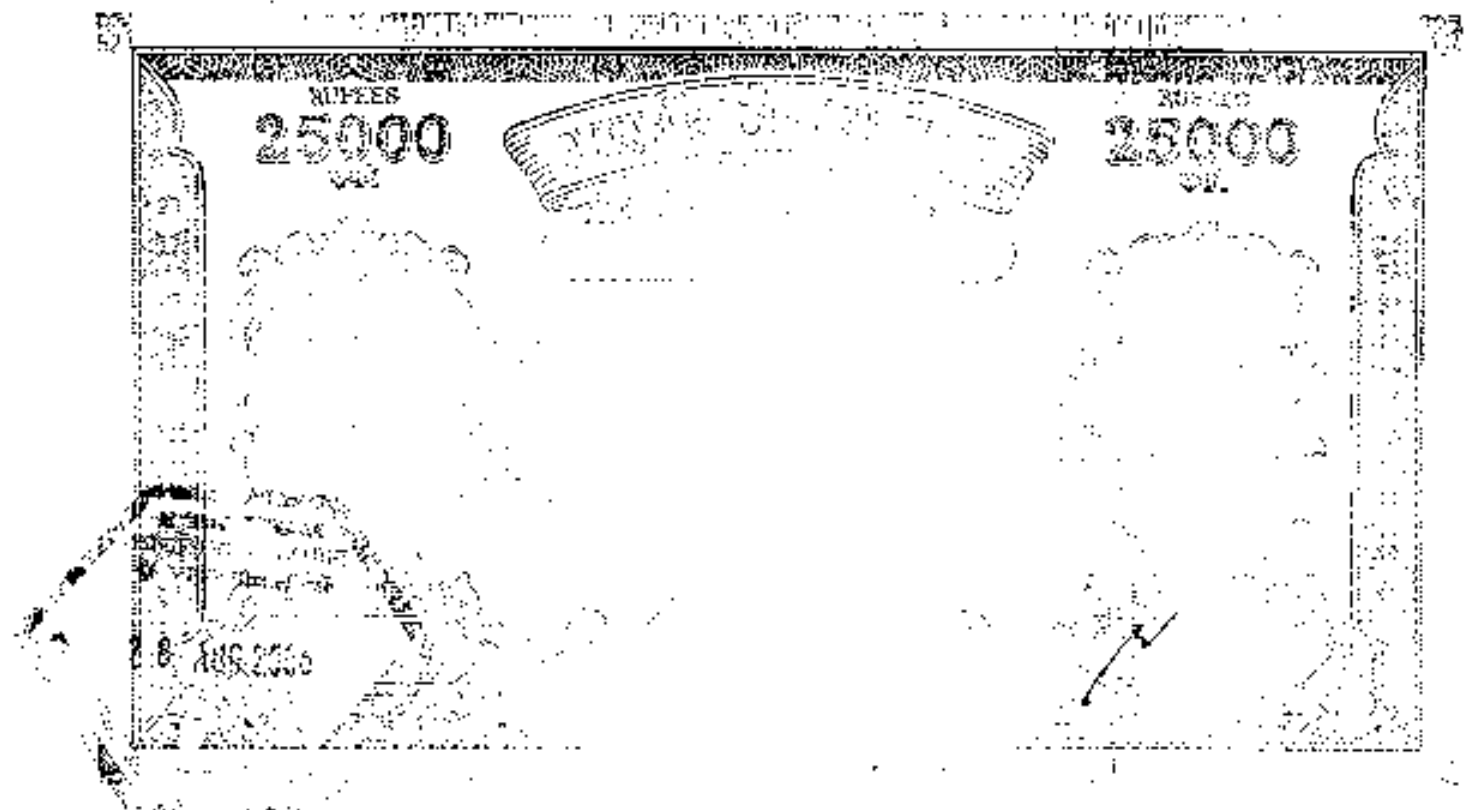
163381

(5) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

P. Chandley

D. S. D. S.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (11)

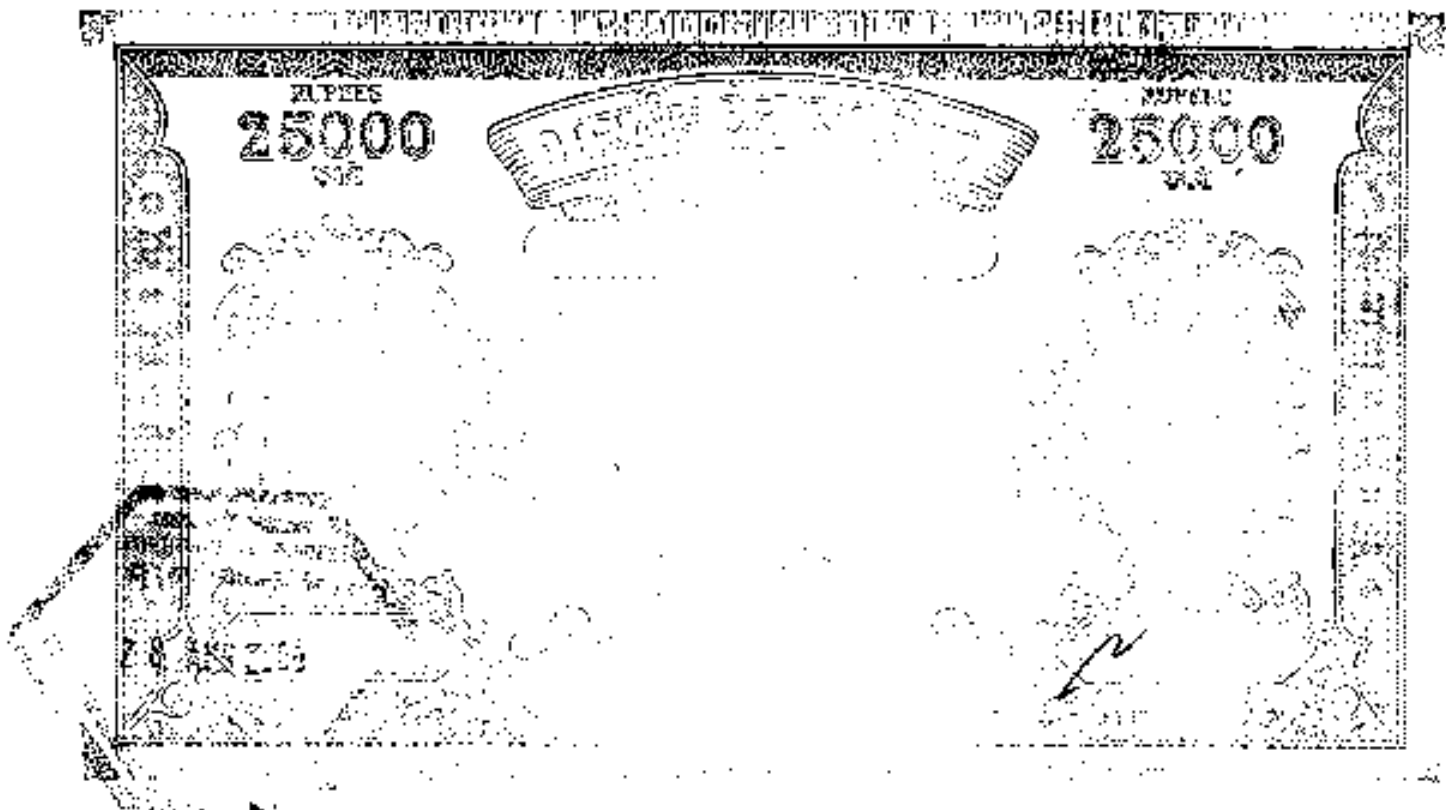
163380

(6) यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि का पूर्व में मौखिक इकरारनामा भी दोनों पक्षों के बीच हुआ था तथा विक्रय पत्र लिखे जाने की मौखिक सहमति हुयी थी जिसके अनुपालन में वर्तमान विक्रय पत्र का निष्पादन किया जा रहा है। तत्समय विक्रेता (फरीक अव्वल) ने बजरिये कोटेक महिन्द्रा बैंक लि० शाखा डी-960 फैंडस कालौनी, नई दिल्ली, का चेक नम्बर 000009 दिनांकित 20.07.2006 अंकन 10,72,919/-रूपये (दस लाख बहत्तर हजार नौ सौ उन्नीस रू० मात्र) को अग्रिम में प्राप्त कर लिये थे।

P. Chandley

P. K. Das





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (12)

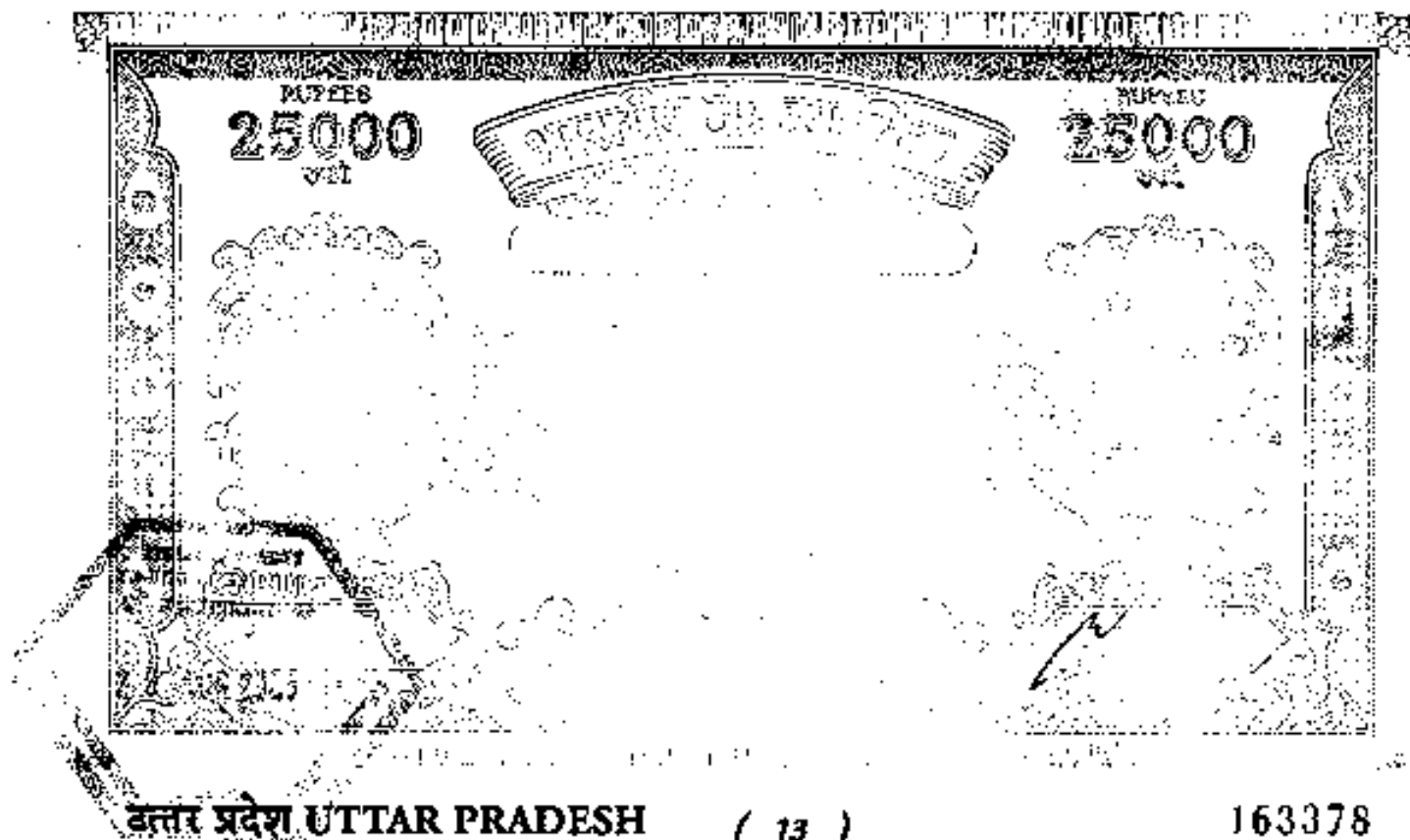
163379

(7) विक्रीत भूमि खाता नं० 98 के खसरा नं० 182/2 रकबई 0.749 हैक्टेयर, स्थित ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद को आज इस विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय किया जा रहा है। अब विक्रित भूमि उक्त में विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण व वारिसान का कोई भाग व कुरा शेष नहीं रहा है।

P. Chandley

Diwan





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

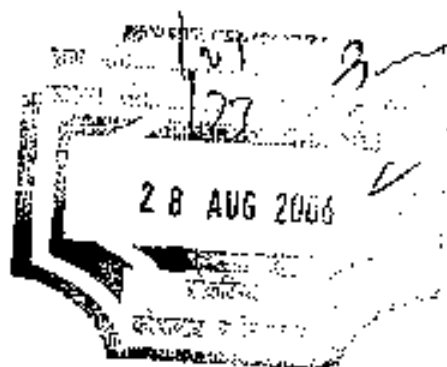
(13)

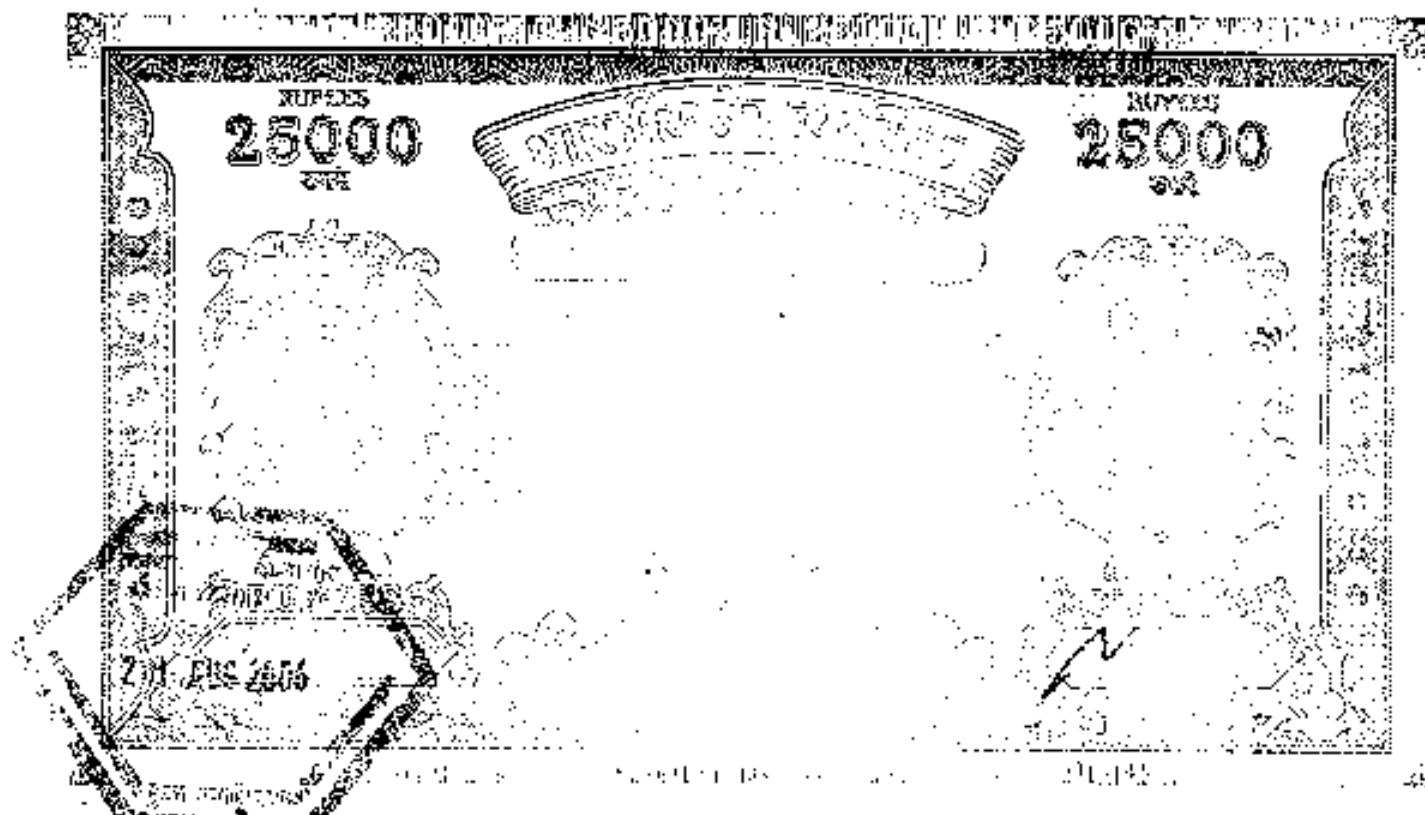
163378

(8) विक्रेतागण ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी, व नक्शा व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

P. Chandley

Diana





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

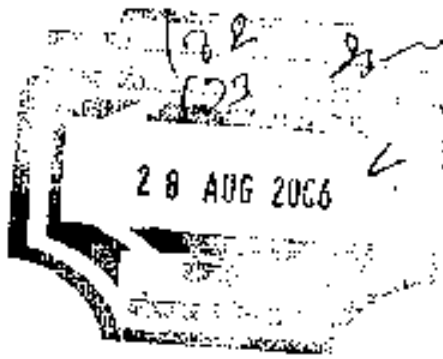
(14)

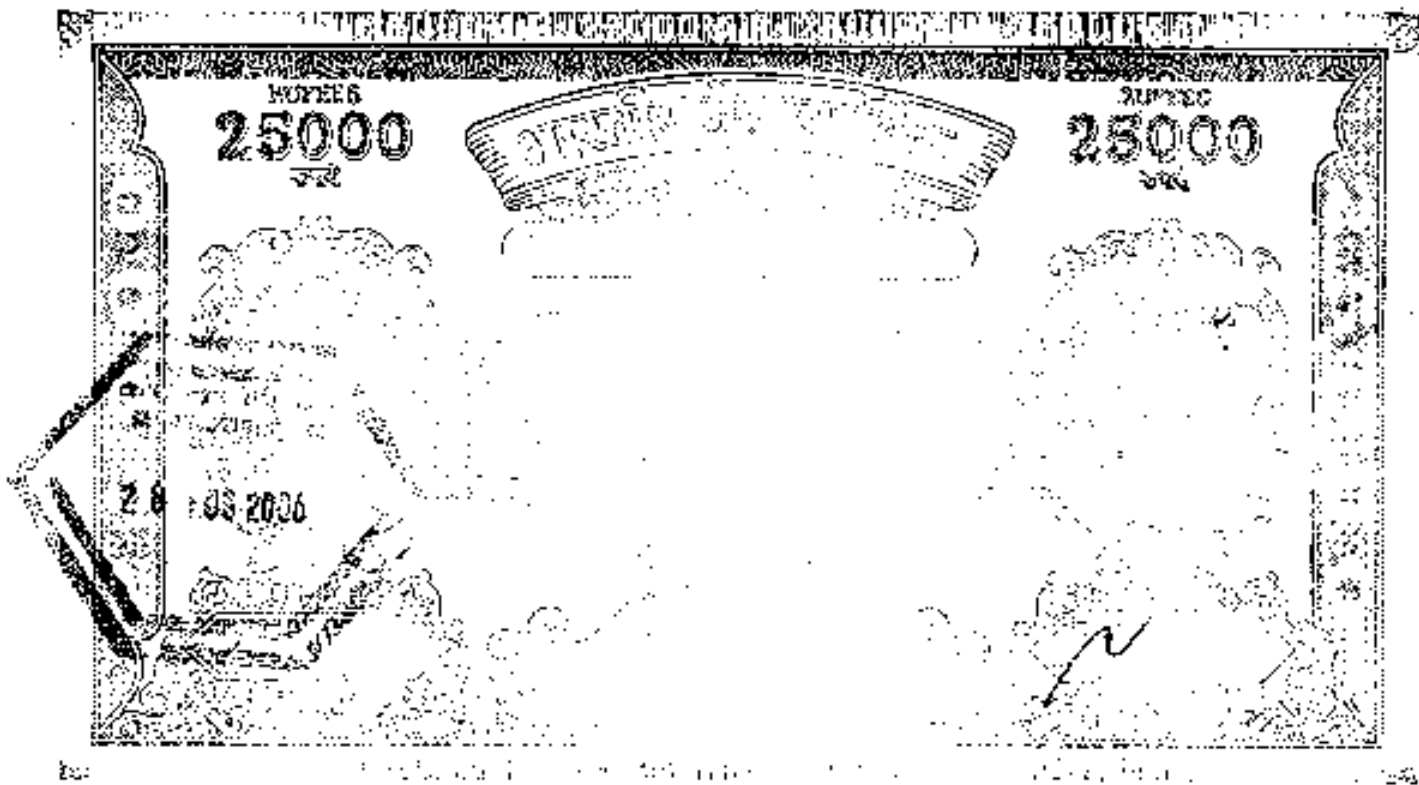
163377

(9) विक्रीत भूमि ठकत आज दिन तक मुझ फरीक अक्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक भार व सरकारी देन्दारी आदि से मुक्त है कही अन्य जगह आड, रहन, बय, हिवै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है।

P. Chandley

W. S. Das





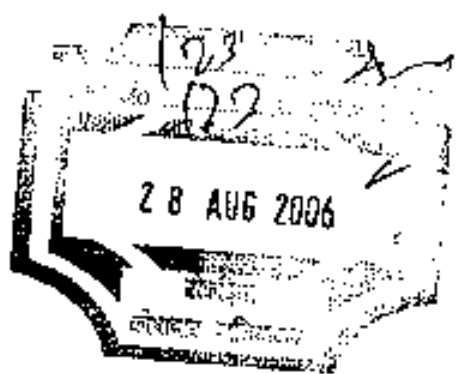
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (15)

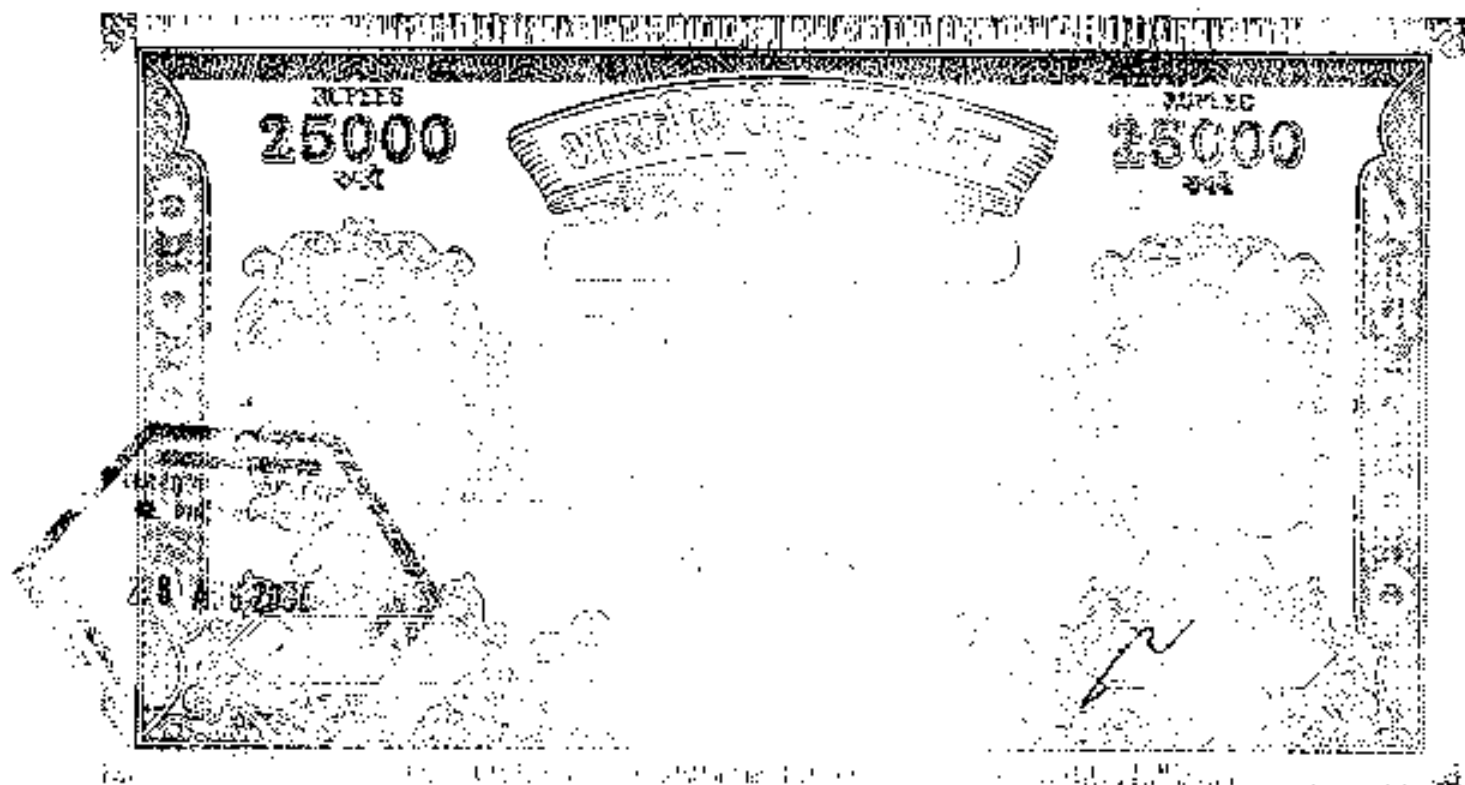
163376

(10) विक्रीत भूमि उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ढयुज भी नहीं है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का

P. Chandley

Datta





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (16)

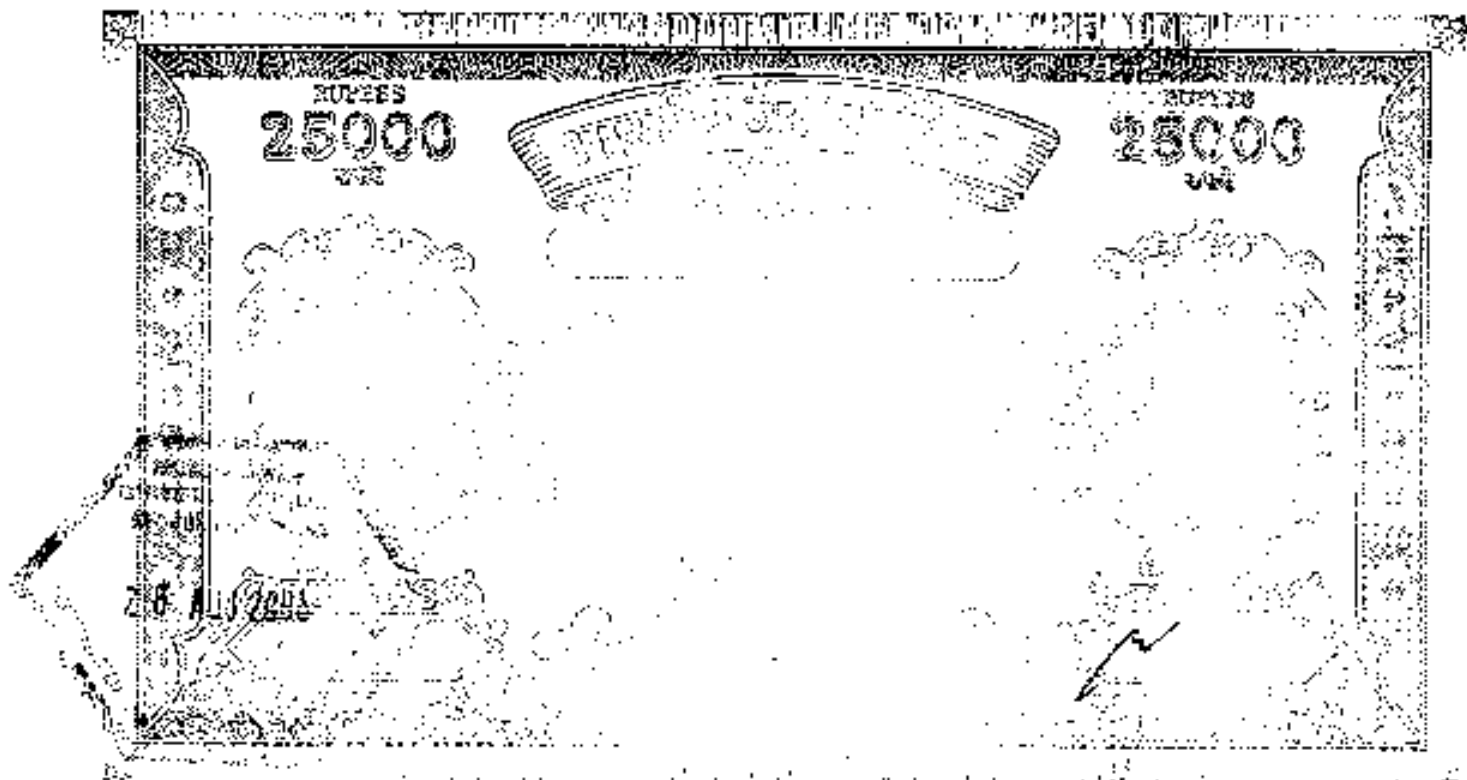
163375

विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी मान्य न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वयन ही लम्बित है।

A. Chandley

Pina





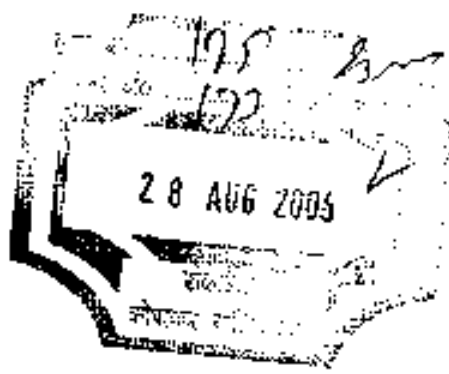
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (17)

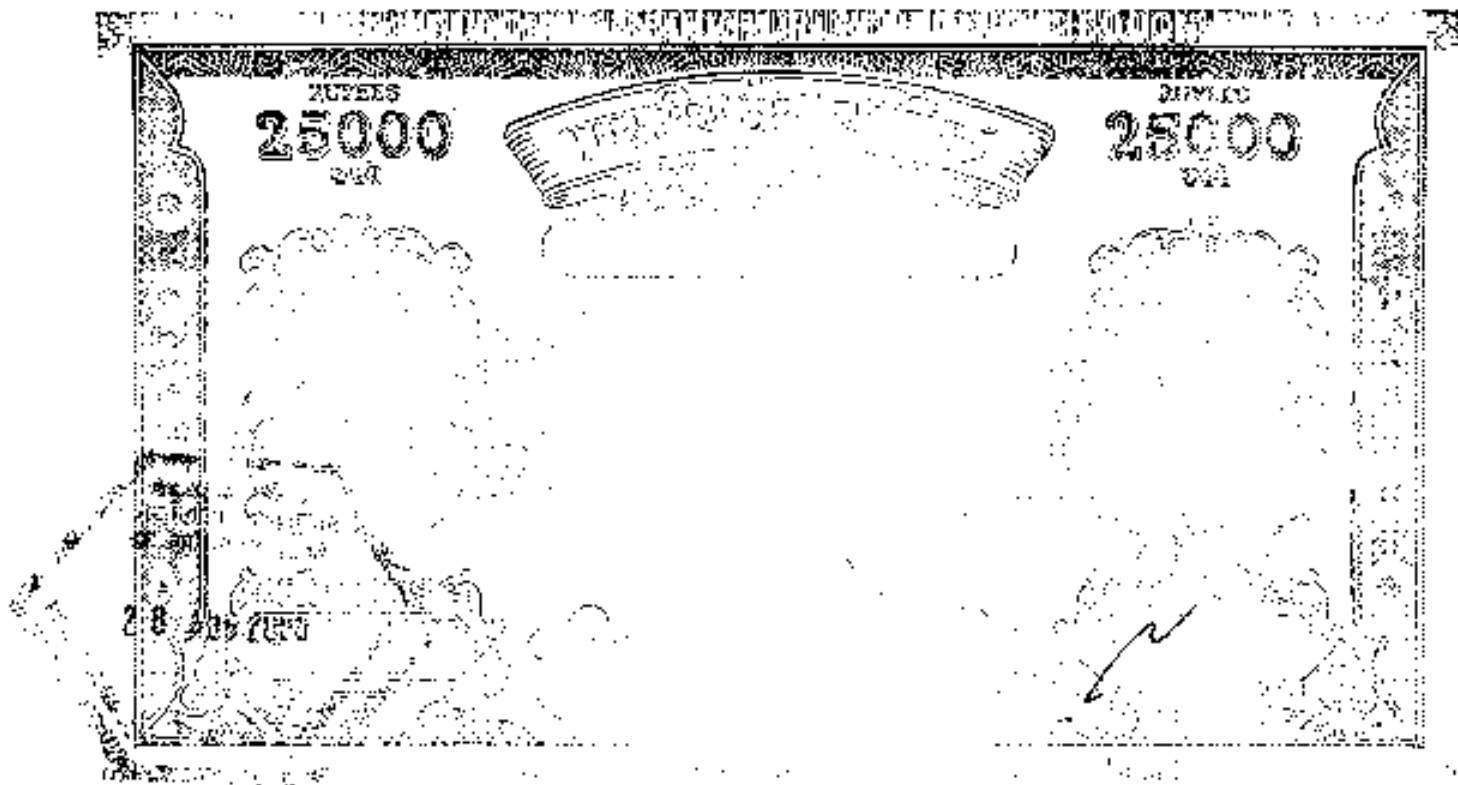
163374

(11) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय मे कोई दोष व त्रुटि नही है हर प्रकार के बाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित /उल्लिखित भूमि के संबध मे हम विक्रेतागण ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक मे कोई मौखिक करार,

P. Chaudhary

Deena





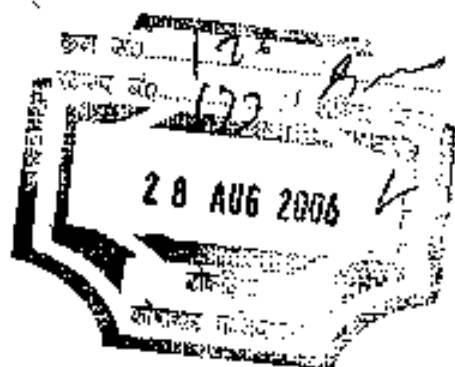
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (18)

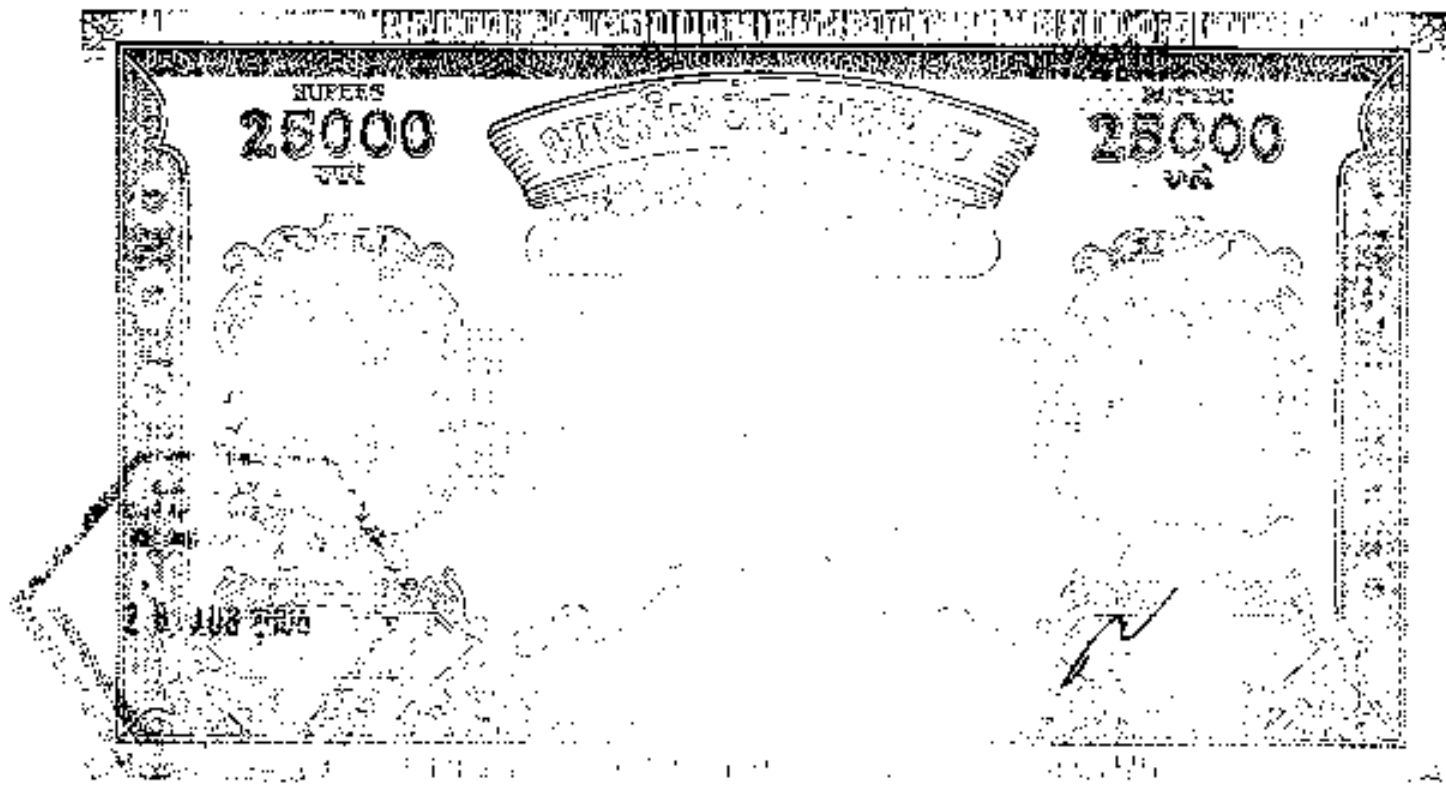
163373

वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न ही नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा,

P. Chaudhary

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(19)

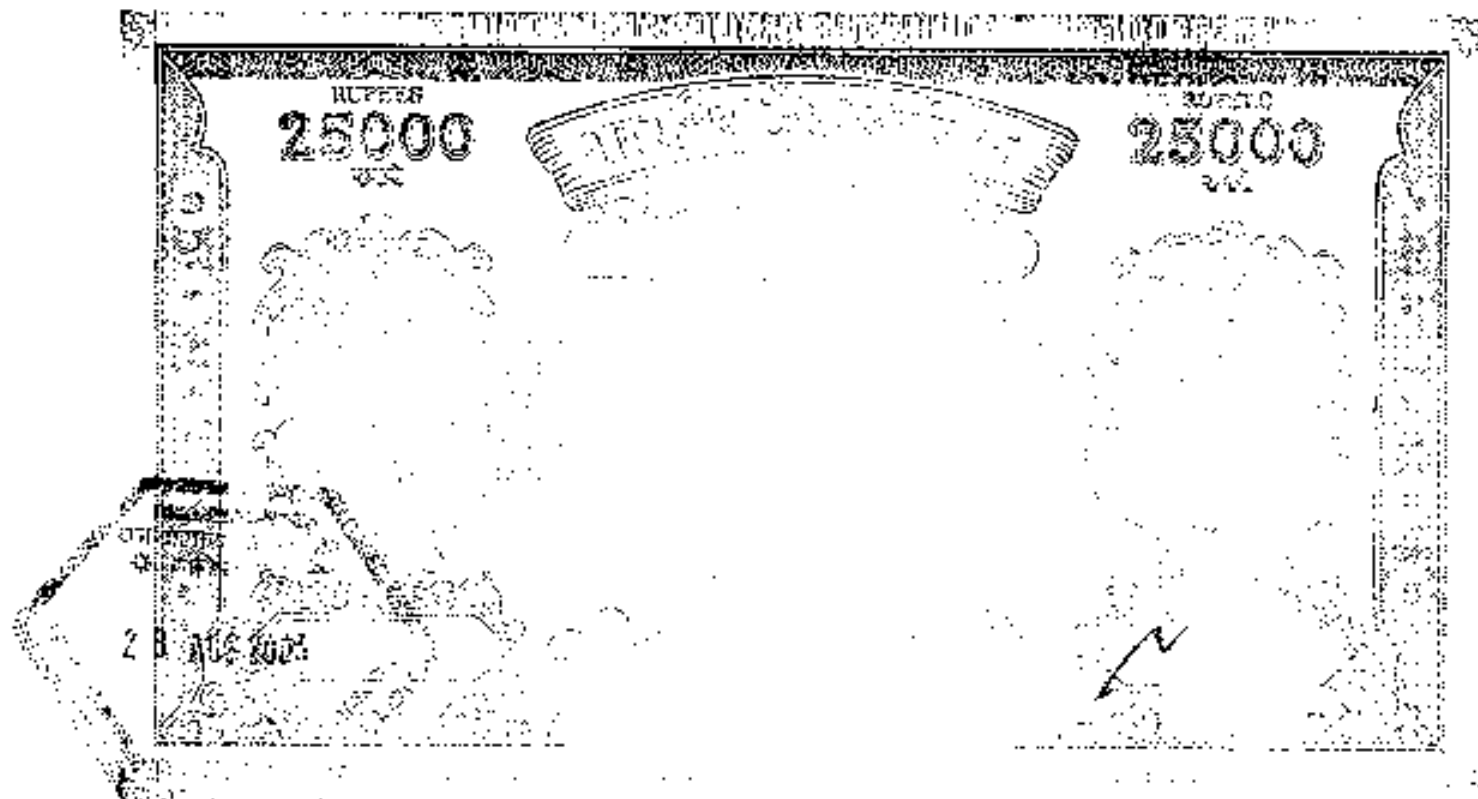
163372

विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे ।

A. Chaudhary

Prakash





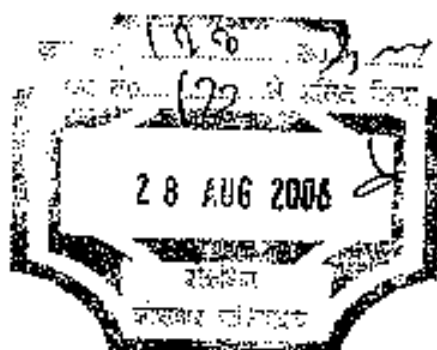
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (20)

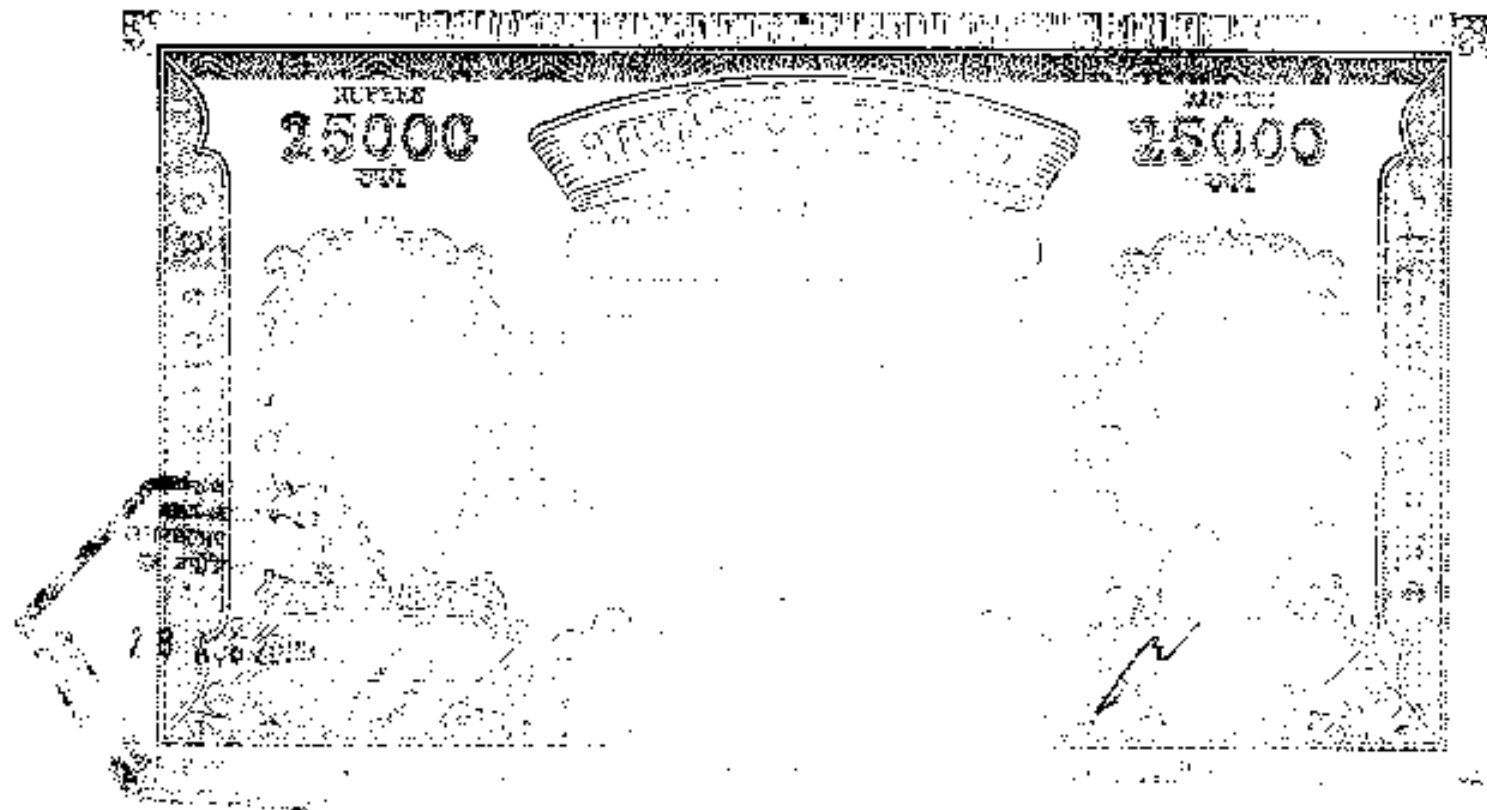
163371

(12) हम विक्रेतागण को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाता नं० 98 के खसरा नं० 182/2 रकबई 0.749 हेक्टेयर स्थित ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के अपने हिस्से के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। हम विक्रेतागण को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य

P. Chaudhary

PRM





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(21)

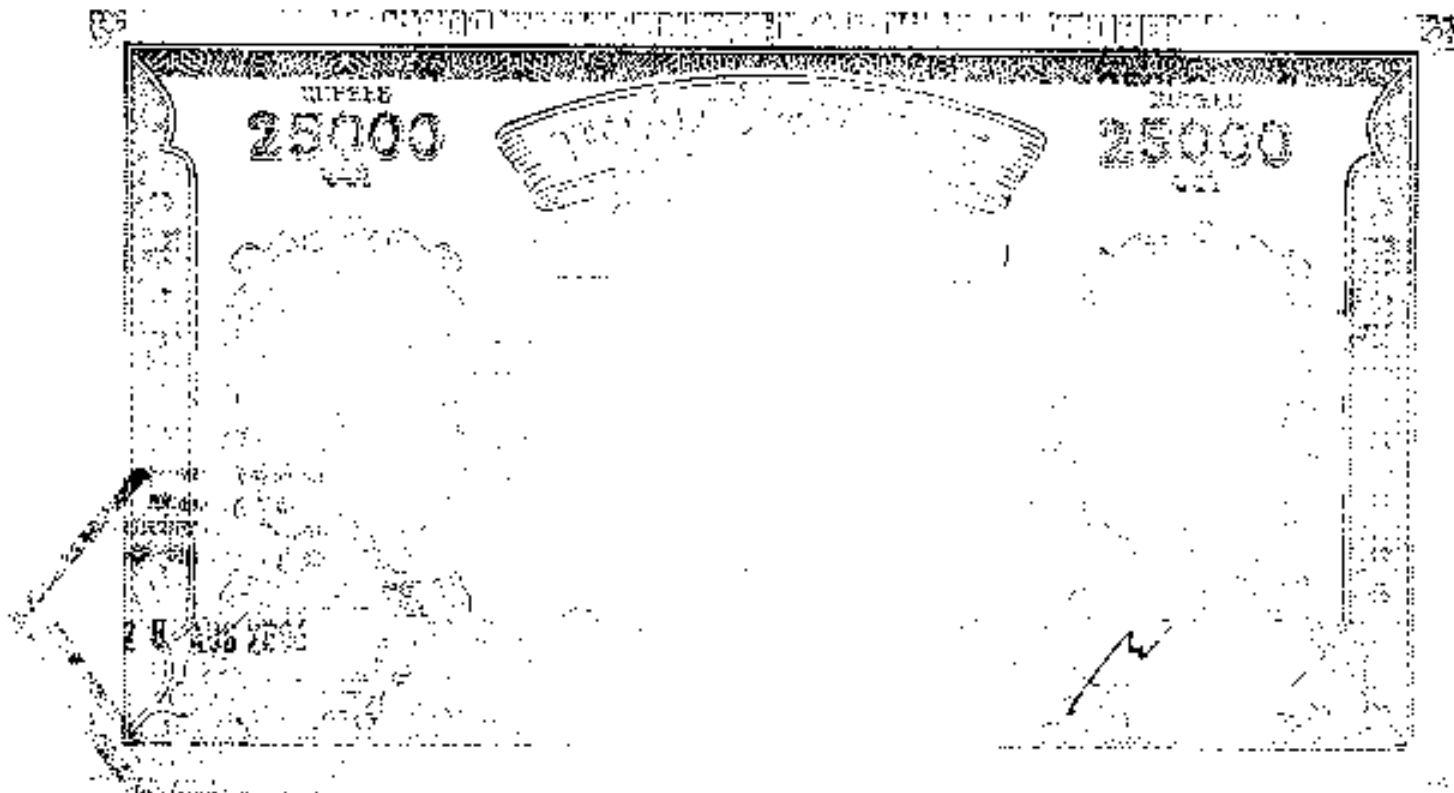
163370

निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः हम विक्रेतागण ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहभूति से भय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना,

P. Chaudhary

Pina





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(22)

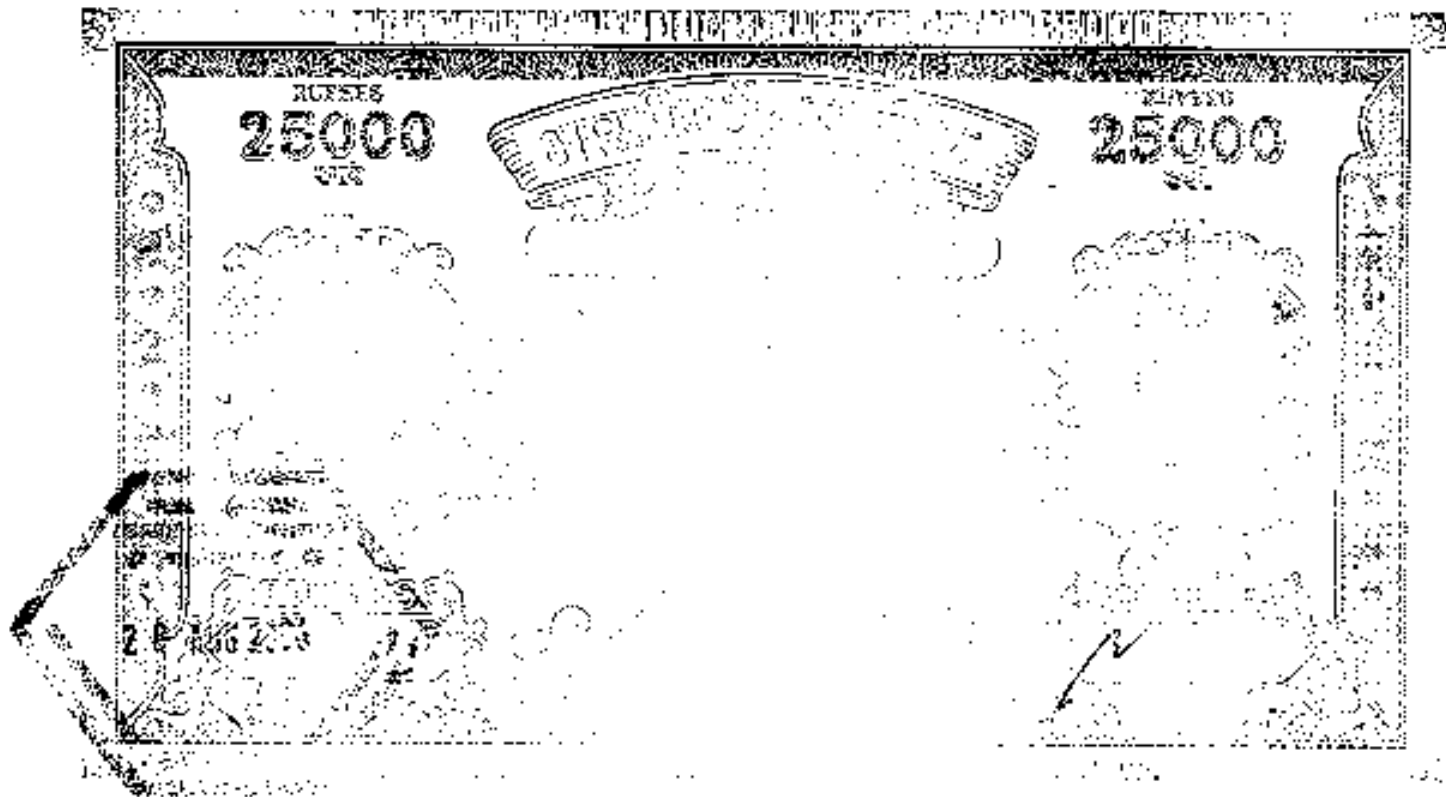
163369

दाखिली-खारिजी, कारत भरई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन 71,60,440/-रूपये (इकहत्तर लाख साठ हजार चार सौ चालीस रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन 35,80,220/-रूपये(पैंतीस लाख अस्सी हजार दो सौ बीस रुपये मात्र) होते हैं के एवज में हाथ फरीक दोयम क्रैता उपरोक्त मैसर्स फाईन प्रो प्रमोटर्स एण्ड डवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सेंटर एन.एफ.सी. नई दिल्ली द्वारा श्री किशन गुप्ता पुत्र स्व० श्री सुरजभान गुप्ता निवासी-145 खिडकी डी. डी. ए.

A. Chandley

R. D. Das





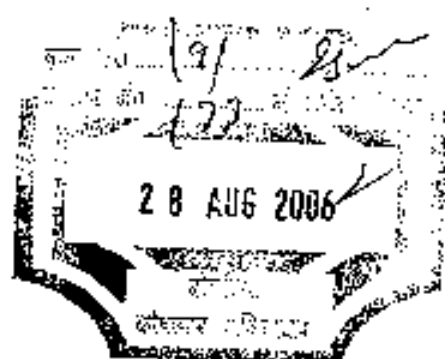
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (23)

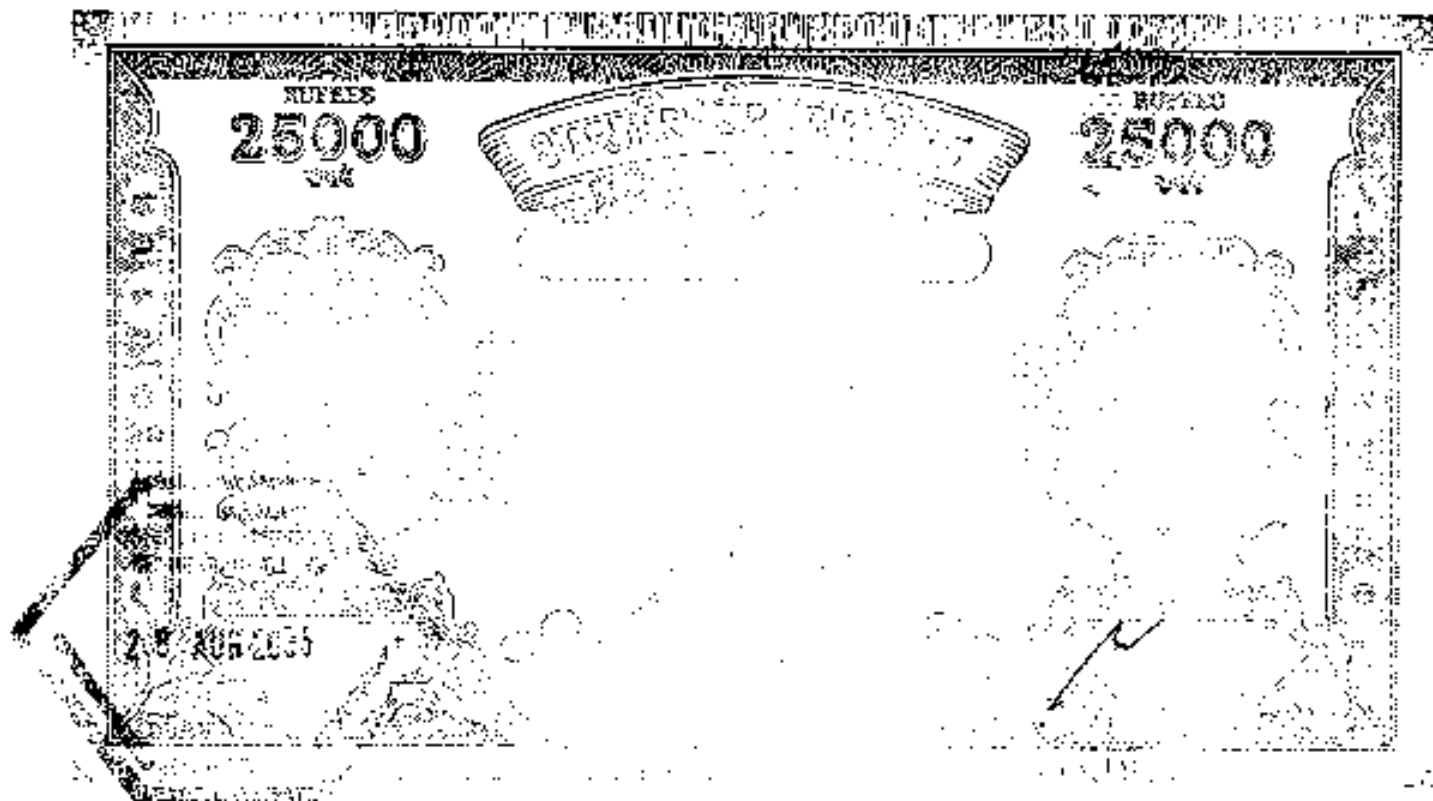
163368

फ्लैट्स, मालवीया नगर नई दिल्ली-17 अधिकृत हस्ताक्षरी द्वितीय पक्ष को बँय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशि बाकी नहीं रही है।

P. Chaudhry

P. Chaudhry





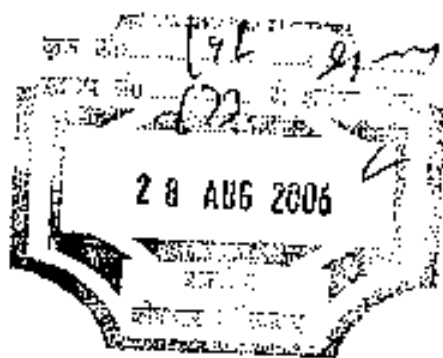
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (24)

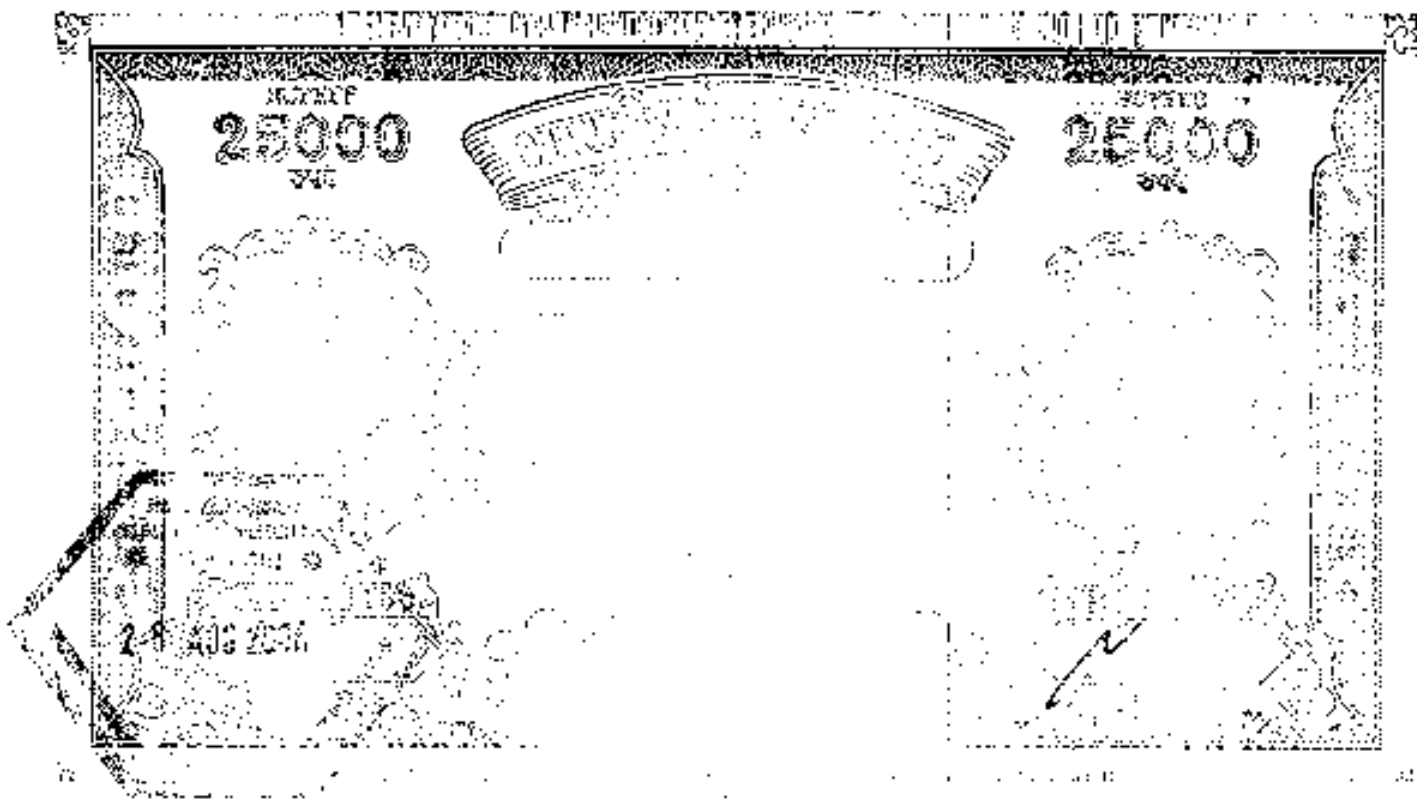
163367

(13) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दखिल बन गये है उनके सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहसिथत मालकाना प्रयोग में लावे।

A. Chaudhary

Diary





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (25)

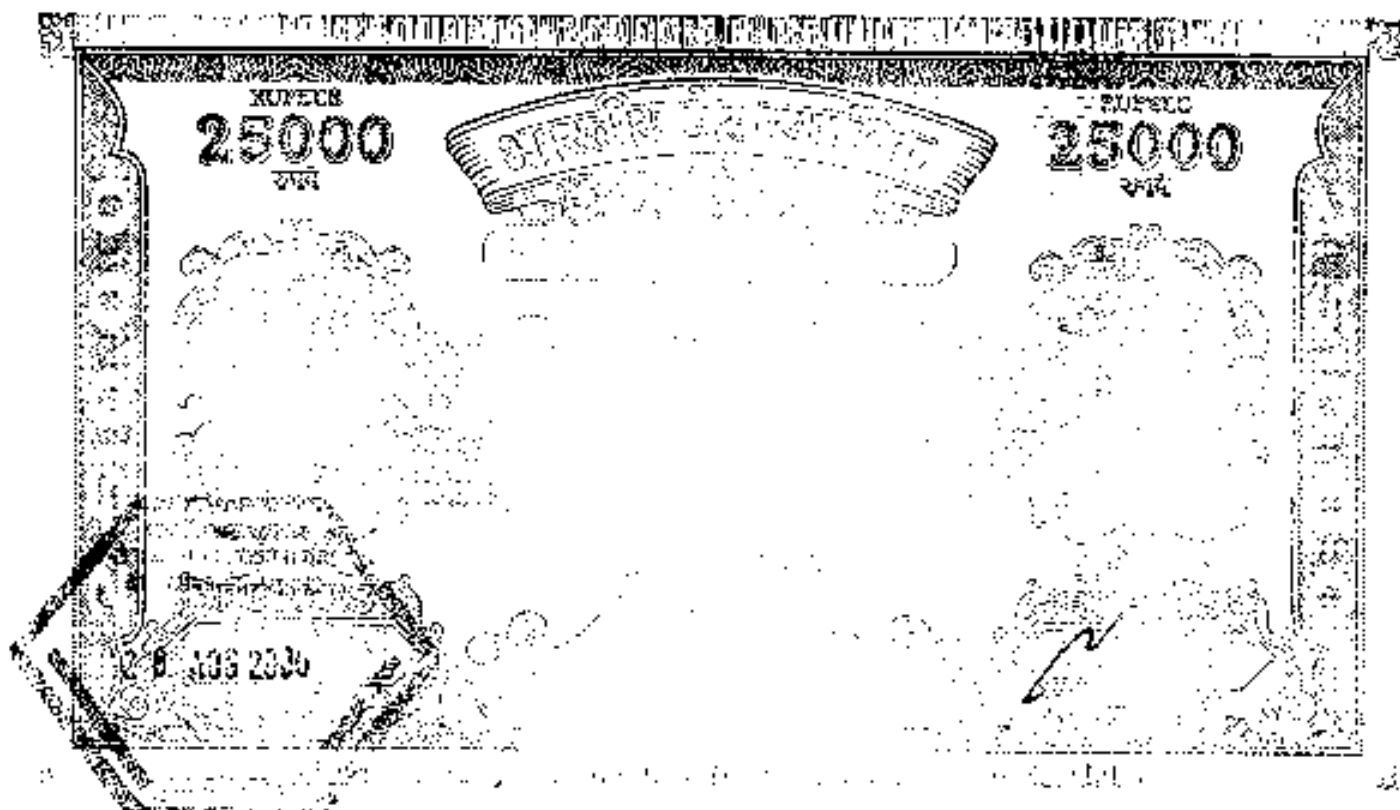
163366

(14) विक्रेता, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल
खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज
करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुद्रा फरीक अव्वल
से करा सकते हैं, मुद्रा फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

P. Chaudhary

[Signature]





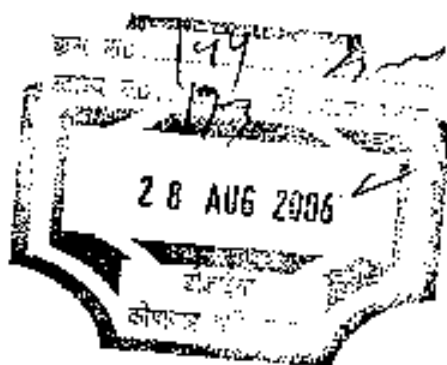
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (26)

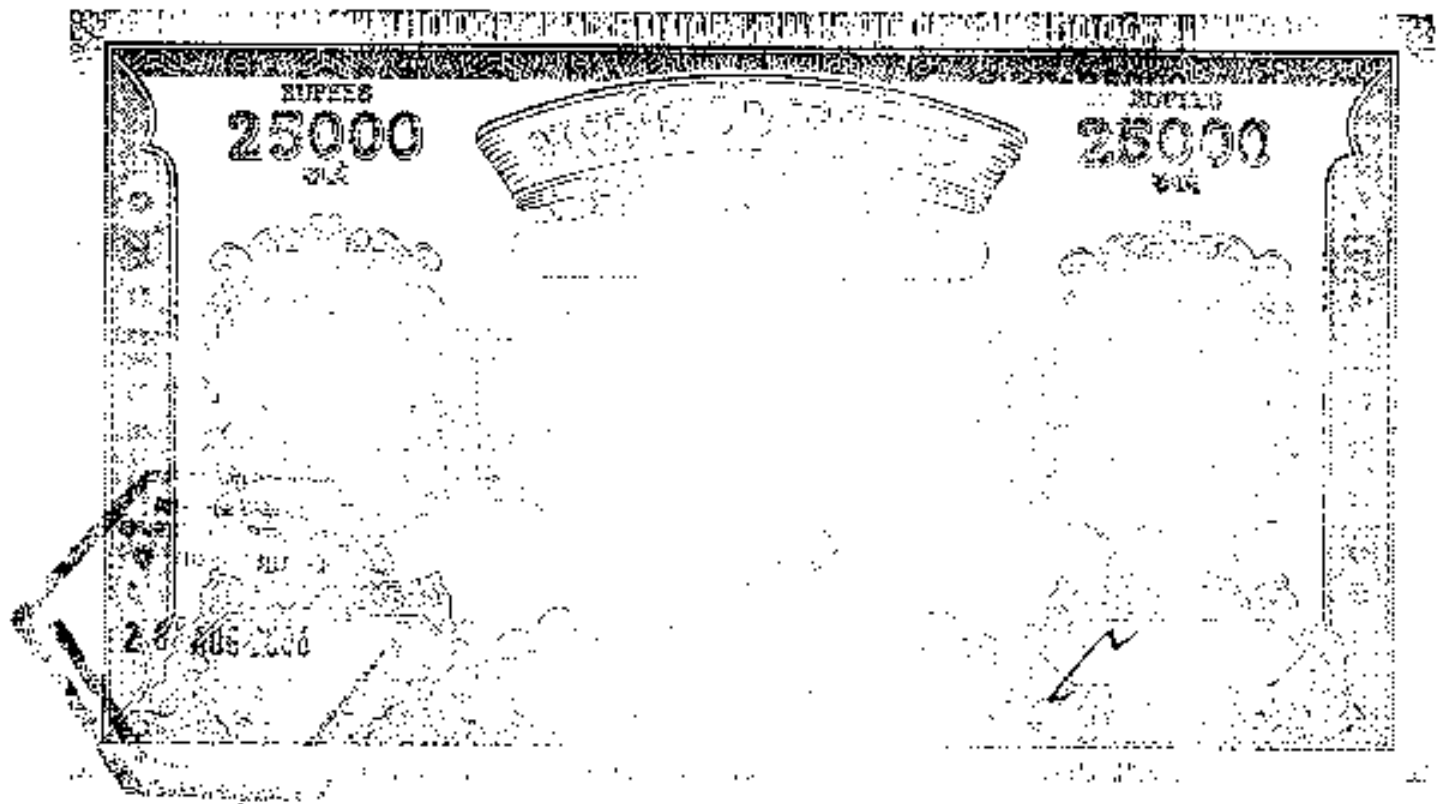
163365

(15) अतः अब विक्रय पश्चात् विक्रीत भूमि की मलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व चारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

P. Chandley

Qidm





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

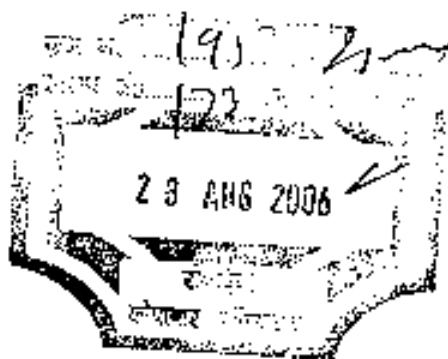
(27)

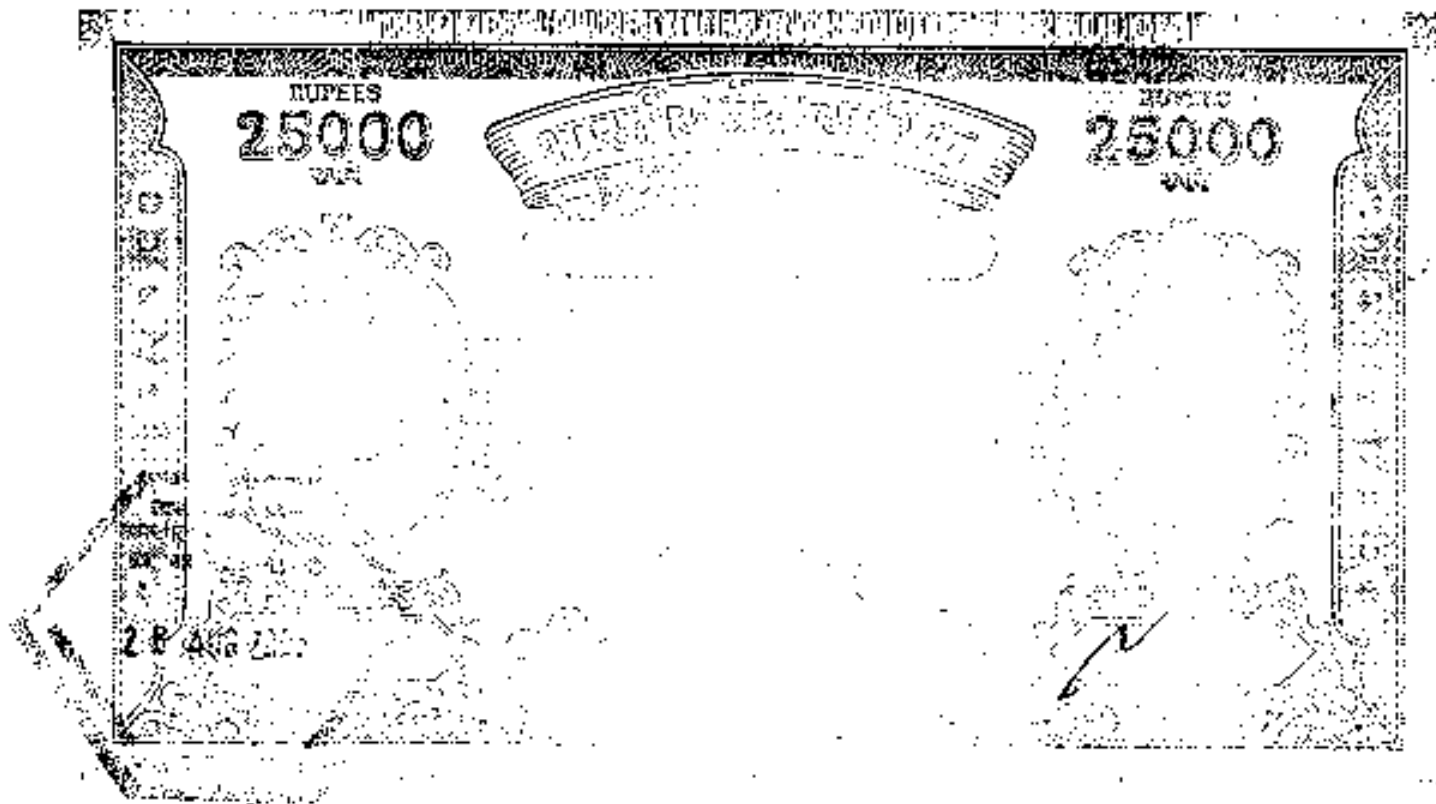
163364

(16) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पडा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या चारिसान विक्रेता की दायेदारी या किसी

P. Chaudhary

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(28)

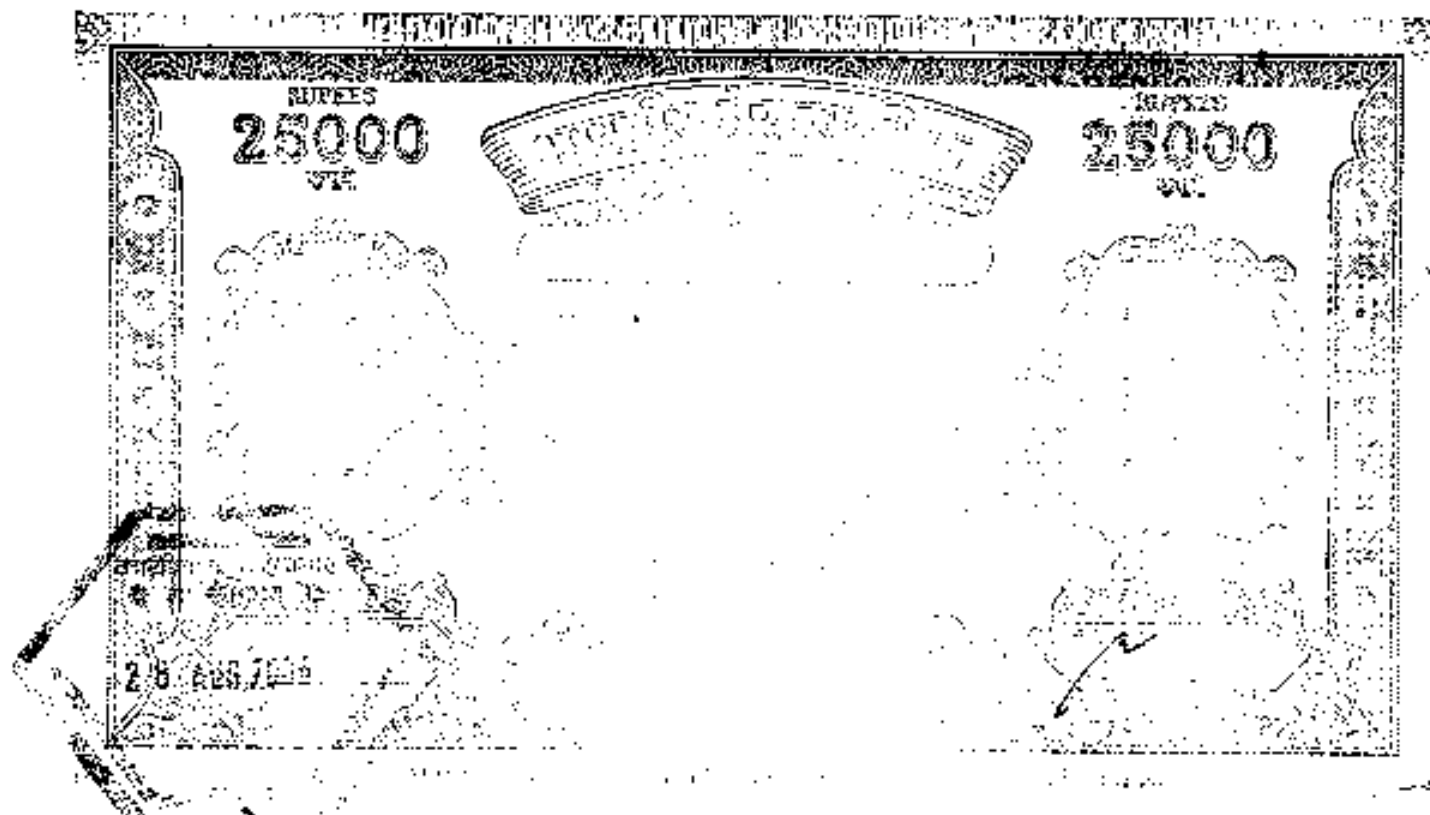
163363

कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/ विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार

P. Chaudhary

D. Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (29)

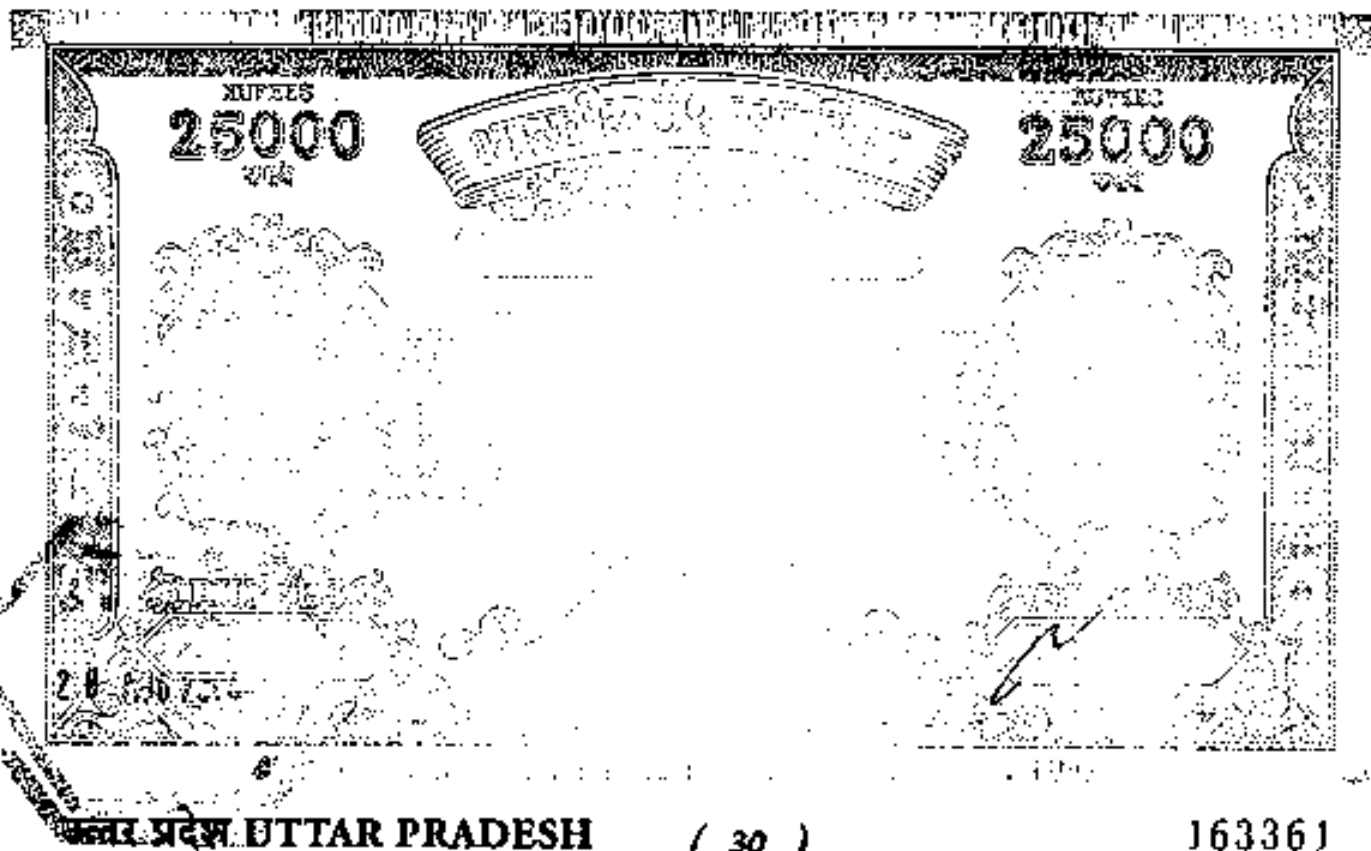
163362

होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मध्य हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

P. Chaudhary

Rajiv



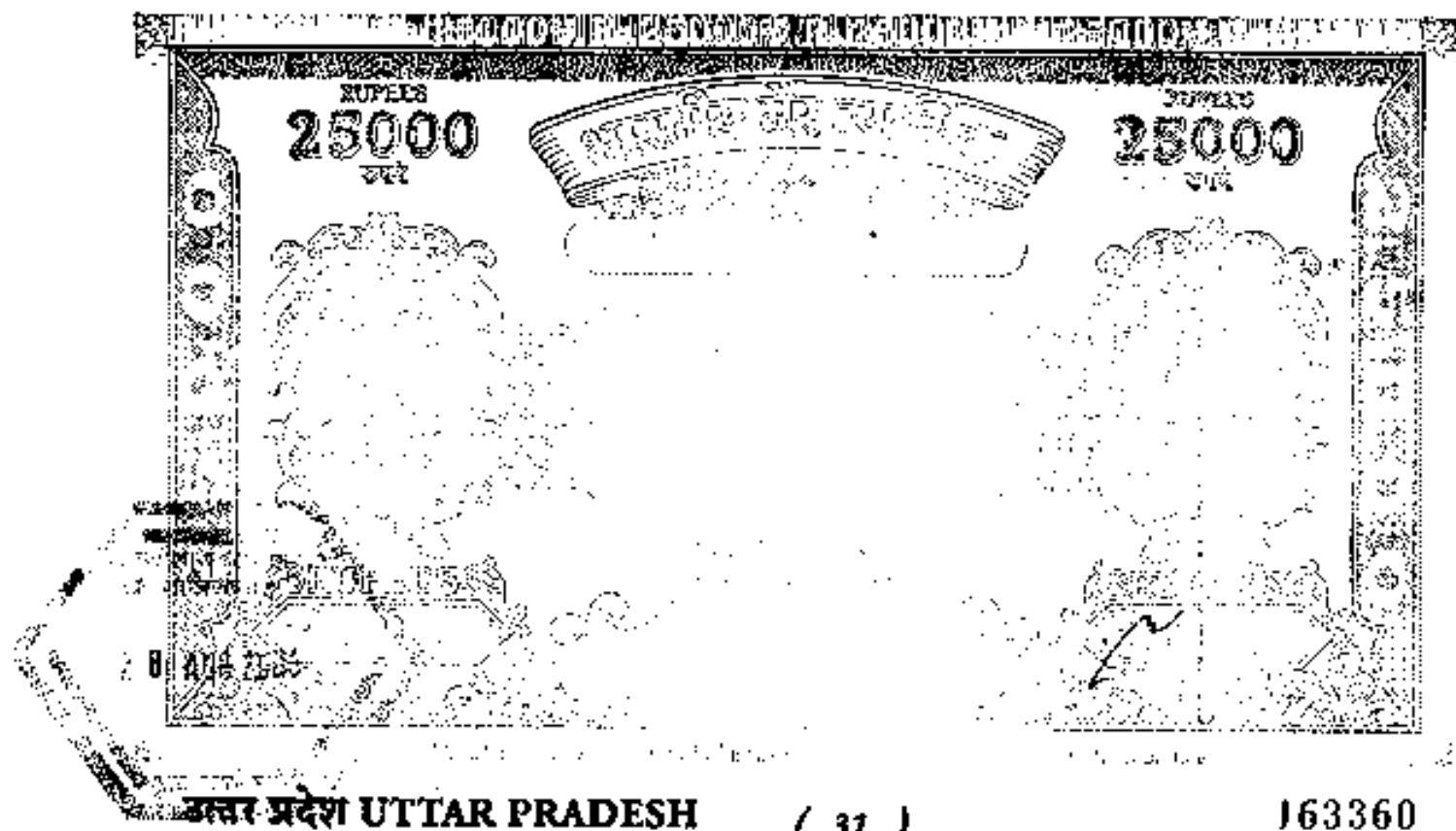


(17) यह कि फरीक अव्वल ने विक्रीत भूमि के स्वामित्व से संबंधित सभी मूल दस्तावेज (मूल बैनामा पूर्ण श्रृंखला, दान पत्र, वसीयत, मूल पट्टा, व न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति आदि) जो विक्रेता के पास उपलब्ध है, उन्हें क्रेता को सौंप दिया है।

P. Chandhu

Diya

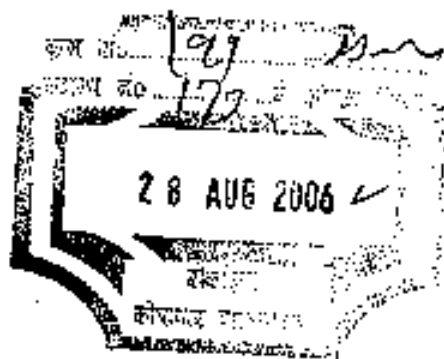


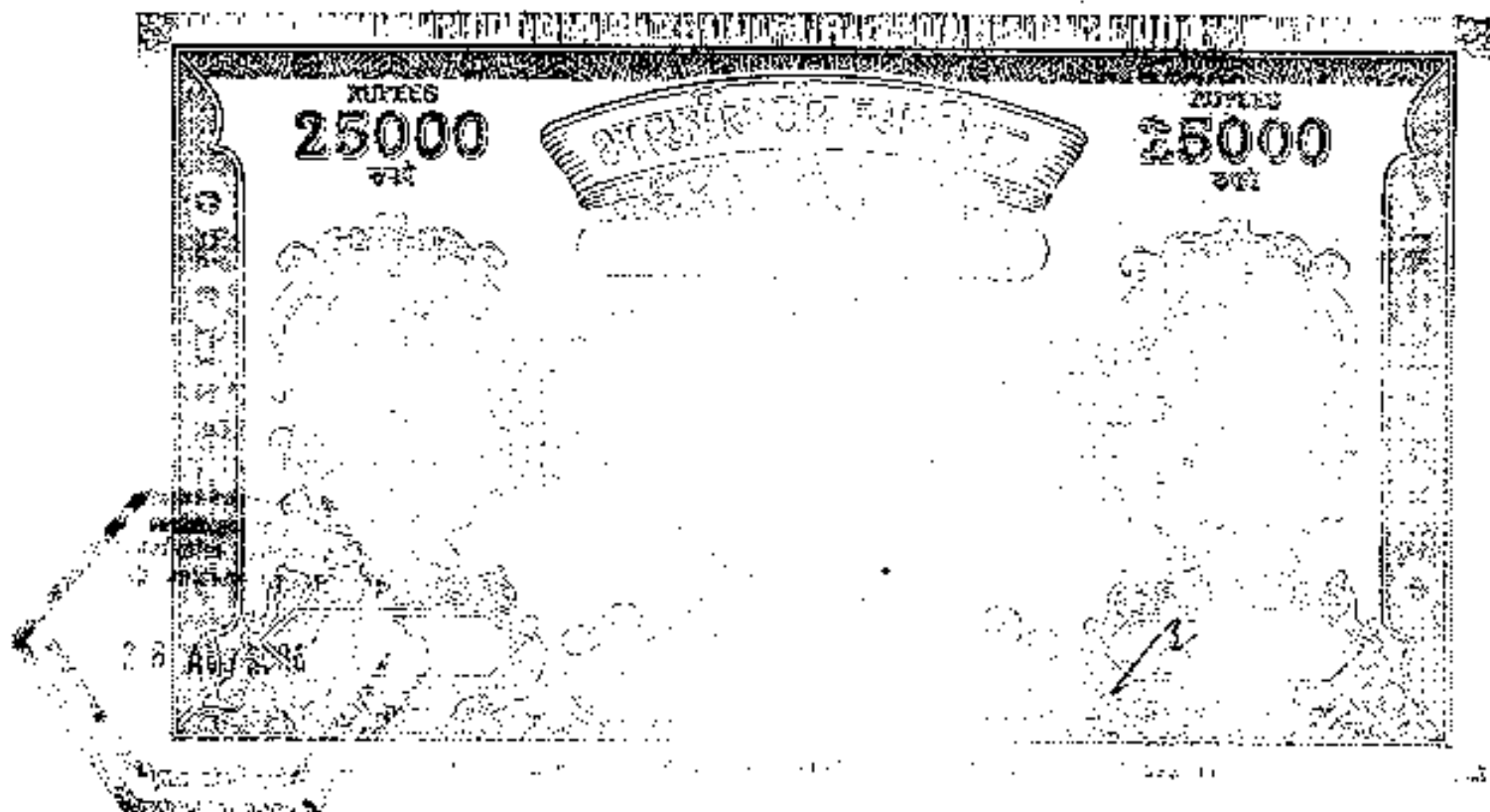


(18) विक्रय पत्र का सम्पत्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

P. Chandh

OK no





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

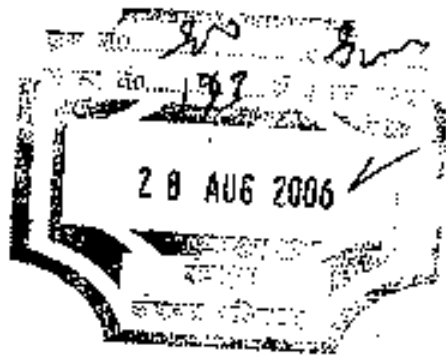
(32)

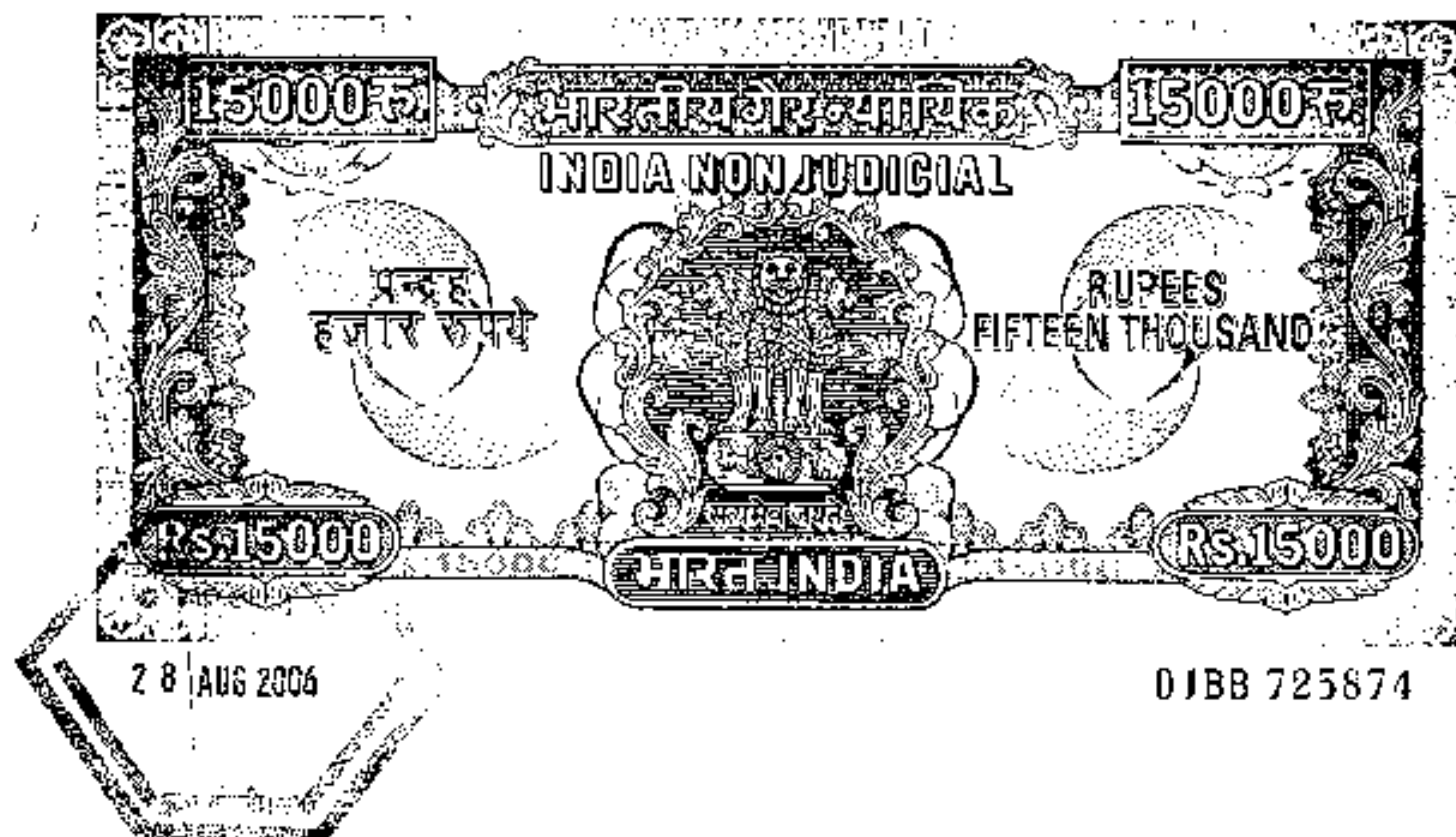
163359

(19) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

P. Chaudhry

R. D. Singh



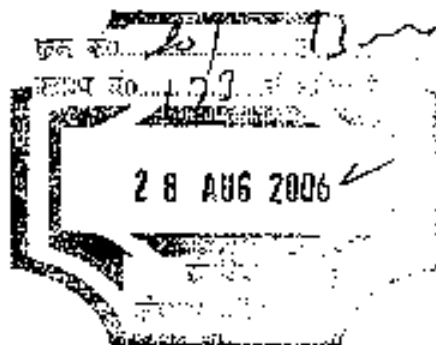


(33)

(20) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.749 हैक्टेयर, खाता नं० 98 के खसरा नं० 182/2 स्थित ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा परगना डासन तहसील व जिला गाजियाबाद के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

P. Chandley

Dr. M. S. Singh



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

AUG 2006

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 771751

(34)

(अ) बैंक कोटेक महिन्द्रा बैंक लि० शाखा डी-960 फैंडस कालौनी, नई दिल्ली का बैंक नम्बर 000009 दिनांकित 20.07.2006 अंकन 10,72,919/-रुपये (दस लाख महत्तर हजार नौ सौ उन्नीस रु० मात्र) फरीक अव्वल द्वारा अग्रिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

P. Chaudhary

Signature

28 AUG 2004



भारतीय नैसर्गिक

पचास
रुपये

FIFTY
RUPEES

रु.50

RS.50



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 766553

(35)

(व) कोटक महिन्द्रा बैंक लि० शाखा डी-960 फेडस कार्लोनी, नई दिल्ली बैंक
नं० 000017 दिनांक 28.08.2006 कुल धनराशि रू० 60,87,521/- (साठ लाख
सत्तासी हजार पाँच सौ इक्कीस रुपये) करीक अव्वल द्वारा सम्पूर्ण धनराशि

P. Chaudhary

P. Chaudhary





28 AUG 2006
50

भारतीय नैर न्यायिक

पचास
रुपये
FIFTY
RUPEES
रु.50
RS.50
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 766552

(36)

प्रदात कर ली गयी है ।

(हस्ताक्षर/निशानी अंगुठा)
फरीक अवलत (विशेषता)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगुठा)
फरीक लोचम (क्रेता)

गवाह नं 1 Sachin Rana.
S/o R. C Rana.
10/3 Semad Road.
Surana Sam Gaty
Inwarapuram.

गवाह नं 2 श्रीता लो/० शरदुत श्रीता
श्रीता श्रीता श्रीता

तहसीर दिनांक : 28.08.2006 मसौदाकर्ता तेजेंद्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद ।

Jeendra Singh
Advocate
Ch. No. 29, Civil Court
GHAZIABAD (U.P.)

20
172
20 Nov 2006

आज दिनांक 29/08/2006 को

वर्ग सं 1 जिल्ला सं 1598

पाट.सं 196 मे 233 पाट.कमांक 5895

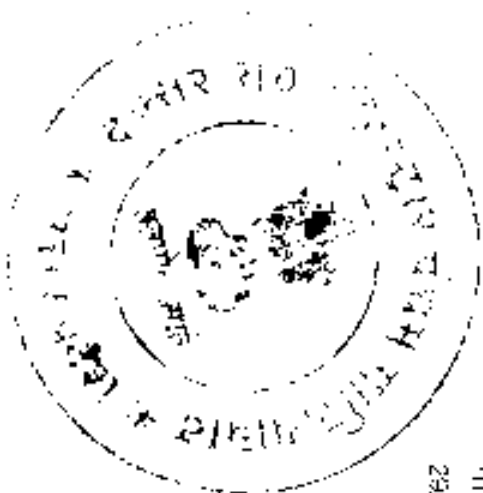
राजिस्ट्रीकन किल्ला भन्ना ।

के. के. थापा

उप निबन्धक (पंचम)

गाजियाबाद

29/8/2006



(RULE 827)

Certificate No. 679
Application No. 88

here applied to me for a

$\frac{305}{9} = 33 \text{ R } 8$

256101
101
101
101
101

I have certify that search has been made in book 1 and in the annexed relating have to from the year 1995 to the year 2003-04-2005 for fact and encumbrances efficient the said property and that on such the following facts and encumbrances *underall*

No.	Description of the property is given in the documents	date of execution	Tenure & value of document	Name of the Parties Execution claimed	Reference No Year.
-----	---	-------------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------

[illegible]

I also certify that have there aforesaid act and encumbrances on the
its affecting the said prepares have been found
repared by: 3.06

Designation)

Signature of Registrar

Office: 914-767-
Date: 7/14/08

SEAL

NOTES

1. facts and encumbrances shown in this certificate at those discovered reference to the described in request read documents in cannot
2. The ~~ed~~ by such documents will not be included in the certificate. but the ~~ed~~ search has been made as carefully as possible by office ors in the ~~rtment~~ will not be held accountable itself responsible for or
3. This certificate does not include documents in the certificate presented but ~~ave~~ been registered up to date.

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 16010210112

ग्राम का नाम : सादिकपुर/काजीपुरा

परगना : डासना

तहसील : गाजियाबाद

जनपद : गाजियाबाद

फसली वर्ष : 1414-1419

भाग : 1

खाता खतौली क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार ज्वादा देश मालगुजारी या रुपान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संलग्न उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13		

श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में है।

00098	इसलामुद्दो.	श्रीचन्द	ग्रामवासी	पू.1384	176	0.4510	न्यायलय परगना अधिकारी सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी गा.बा. बाद स.10/99-2000 घारा 182 उत्तर प्रदेश जमीन विनाश अधिनियम गा.सादिक पू. उ.के काजिपुरा परगना डासना सतेन्द्र बनाम सरदार सिंह आदि सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री चन्द नि.गा.काजिपुरा परगना डासना तह.जिला गा.बाद बनाम सरदार सिंह पुत्र हरवंश नि.गा.काजिपुरा परगना डासना तहसील व जिला गाजिया बाद 2- रतिचन्द पुत्र हरवंश नि.गा. काजिपुरा परगना डासना तह.व जिला गा. 3- इली चन्द पुत्र हरवंश नि. सादिक पू. उ.के काजिपुरा परगना डासना तह.व जिला गा.बाद उपरोक्त याद मेरे न्यायलय मे दि.8.1.01 को निर्मित किया जा चुका है। जिसमे उक्त पक्षकारों के कुर्र दि.27.09.2002 को स्वीकार किए जा चुके है। कुर्र न.1 सतेन्द्र पुत्र श्री चन्द गा. काजिपुरा के खसरा न. 177/2रकबा 1-8-18 खसरा न. 82/2रकबा 2-19-5 ख. 60/209/2 उत्तर रकबा 0-2-12-10 मा. कुर्र न.2 सरदार पुत्र हरवंश गा.काजिपुरा के खसरा स.176/1 उत्तर रकबा 1-8-19 खसरा स.182/3दक्षिण रकबा 2-19-5 खसरा स. दक्षिण 0-2-12-10 मा. गू.57.06 कुर्र न. 3 रतिचन्द पुत्र हरवंश गा. काजिपुरा के खसरा स. 176/2 दक्षिण रकबा 0-1-13 खसरा स.179 दक्षिण रकबा 1-7-6 खसरा न. 18 रकबा 2-19-5 खसरा स. 60/209/4 दक्षिण रकबा 2-12- लगुजारी 5-7-06 पै. करी 4- इलीचन्द पुत्र हरवंश नि. काजिपुरा गा.काजिपुरा के खसरा न. 182/4 दक्षिण रकबा		
	सरदार	हरवंश	ग्रामवासी	पू.1384	177	0.7110			
	रतिचन्द	हरवंश	ग्रामवासी	पू.1384	182	3.3650			
	इलीचन्द	हरवंश	ग्रामवासी	पू.1384	70/209	0.1450			

25/01/2007

तहसील : गाजियाबाद

भाग : 1

25/01/2007

ग्राम क्रमांक : 16010210112

ग्राम का नाम : सादिकपुर/काजीपुरा

परगना : डासना

तहसील : गाजियाबाद

जनपद : गाजियाबाद

फसली वर्ष : 1414-1419

भाग : 1

खाना खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाने के प्रत्येक गाटे को खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खातेदार ब्रह्म देव मालगुजारी या लगान	परिष्कारित सम्बन्धी आशा वा उसके संराश उनकी संख्या तथा दिनोंक सहित और आशा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13		

हस्ताक्षर
नरेश गौतम
16/01/2007
गाजियाबाद